

L. A. BILL No. CIX OF 2025.

A BILL

TO CONSOLIDATE LAWS RELATING TO PRISONS, PRISONER'S AND
CORRECTIONAL SERVICES IN THE STATE OF MAHARASHTRA AND
TO PROVIDE FOR REGULATION THEREOF AND THE MATTERS
CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक १०९ सन् २०२५ ।

महाराष्ट्र राज्य में कारागारों, बन्दियों और सुधारात्मक सेवाओं से संबंधित विधियों का समेकन
और उसके विनियमन करने के लिए तथा तत्संबंधि या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध
करने संबंधि विधेयक ।

क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में कारागारों, बन्दियों और सुधारात्मक सेवाओं से संबंधित विधियों का समेकन
और उसके विनियमन करने के लिए तथा तत्संबंधि या उससे आनुषंगिक मामलों का उपबंध करना इष्टकर
है; अतः भारत गणराज्य के छिह्नतरवें वर्ष में, एतद्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भण ।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र कारागार और सुधारात्मक सेवाओं अधिनियम, २०२५ कहलाए।
(२) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

परिभाषाएँ।

२. (१) इस अधिनियम में जब तक की संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “पश्चात्वर्ती देखभाल सेवाएँ” का तात्पर्य, रिहा किये गये बन्दी को एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में सुधारात्मक जीवन व्यतीत करने के लिये ऐसे बन्दियों का पुनर्वसन करने के उद्देश्य से सेवा या गतिविधि से है;

(ख) “सिविल बन्दी” का तात्पर्य, कोई बन्दी, जो अभिरक्षा में लिये गये अपराधिक बन्दी नहीं है;

(ग) “संसूचना उपकरण” का तात्पर्य, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, २००० की धारा २ की सन् २००० उप-धारा (१) के खण्ड (जक) के अधीन यथा परिभाषित संसूचना उपकरण, से है। का २१।

(घ) “दोषसिद्ध बन्दी” का तात्पर्य, एक व्यक्ति, जो किसी अपराध में दोषी पाया गया है और कारागार में सजा काट रहा है;

(ङ) “दण्डित बन्दी” का तात्पर्य, जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा दण्डित बन्दी और जिसकी दया याचिका अस्वीकृत की गई है, से हैं;

(च) “सुधारात्मक सेवा” का तात्पर्य, ऐसी कोई सेवा या कार्यक्रम जिसका उद्देश्य बन्दी को सुधार और पुनर्वसन करने से है और इसमें बन्दी के पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण, नियंत्रण और अभिरक्षा से संबंधित सेवाएँ सम्मिलित हैं;

(छ) “न्यायालय” में विधिक रीत्या सिविल, आपराधिक या राजस्व अधिकारिता क्षेत्र का प्रयोग करनेवाला कोई अधिकारी सम्मिलित है, से है ;

(ज) “आपराधिक बन्दी” का तात्पर्य, कोई बन्दी जो न्यायालय या सेना न्यायालय की सजा सन् २०२३ के अधीन है और इसमें वह व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ के अध्याय नौ के उपबंधों का ४६। के अधीन कारागार में बंद व्यक्ति शामिल है;

(झ) “नजरबन्द बन्दी” का तात्पर्य, निवारक रोकथाम के लिए उपबंधित किसी विधि के अधीन सक्षम प्राधिकरण के आदेशों पर कारागार में नजरबन्द किसी व्यक्ति से है ;

(ज) (१) “महानिदेशक” का तात्पर्य, कारागार और सुधारात्मक सेवाओं के महानिदेशक, से है ;

(२) “विशेष महानिरीक्षक” का तात्पर्य, कारागार और सुधारात्मक सेवाओं के विशेष महानिरीक्षक, से है ;

(३) “उप-महानिरीक्षक” का तात्पर्य, कारागार और सुधारात्मक सेवाओं के उप-महानिरीक्षक, से है ;

(४) “अधीक्षक” का तात्पर्य, केंद्रीय कारागार और सुधारात्मक सेवाओं के अधीक्षक, से है ;

(५) “अपर अधीक्षक” का तात्पर्य, केंद्रीय कारागार और सुधारात्मक सेवाओं के अपर अधीक्षक, से है ;

(६) “उप-अधीक्षक” का तात्पर्य, केंद्रीय कारागार और सुधारात्मक सेवाओं के उप अधीक्षक, से है;

(७) “जेलर” का तात्पर्य कारागार और सुधारात्मक सेवाओं के जेलर से है;

(८) “उप-जेलर” का तात्पर्य, कारागार और सुधारात्मक सेवाओं के जेलर से है;

(९) “सहायक जेलर” का तात्पर्य, कारागार और सुधारात्मक सेवाओं के सहायक जेलर से है;

(ट) “विदेशी बन्दी” का तात्पर्य, कोई बन्दी जो भारत का नागरीक नहीं हैं, से है;

(ठ) “संचित छुट्टी” का तात्पर्य, दोषसिद्ध बन्दी को, सजा का विहित अवधि भुगतने के पश्चात् कारागार में अच्छा आचरण बनाए रखने के पश्चात् प्रोत्साहन के रूप में किसी दोषसिद्ध बन्दी को मंजूर की गई अल्प छुट्टी, से है;

सन् १९५९
का ४१।
(ड) “आभ्यासिक अपराधी” का तात्पर्य, महाराष्ट्र आभ्यासिक अपराधी अधिनियम की धारा २ के खण्ड (ड) के अधीन परिभाषित आभ्यासिक अपराधी, से है;

(ढ) “उच्च जोखिम के बन्दी” का तात्पर्य, हिंसा, भागने, खुद को चोट पहुँचाने या विच्छृंखल व्यवहार, कारागार में अशांतता फैलाने और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा पहुँचाने की प्रवृत्ति होनेवाले बन्दी, से है और उसमें संघित अपराध, नशीले पदार्थ, मानवी तस्करी और आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त खतरनाक अपराधी, आभ्यासिक अपराधी, बन्दियों पर नकारात्मक प्रभाव डालनेवाले बन्दी आदि, सम्मिलित हैं;

(ण) “उच्च सुरक्षा कारागार” का तात्पर्य, उच्च जोखिमवाले बन्दियों को रखने के लिये एक स्वतंत्र न्यायालय संकुल आदि के प्रावधान के साथ गतिशिल और मजबूत सुरक्षा प्रणाली का एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर कारागार संकुल से है;

(त) “इतिवृत पत्रक” का तात्पर्य, बन्दियों के संबंध में, सभी सुसंगत जानकारी अन्तर्विष्ट प्रत्यक्ष या तो इलेक्ट्रॉनिक के अभिलेख, से है;

(थ) कारागार के संबंध में “चिकित्सा अधिकारी” का तात्पर्य, कारागार के चिकित्सा अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त एक अर्हताप्राप्त सरकारी चिकित्सा अधिकारी से है;

(द) “चिकित्सा अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द” का तात्पर्य, कारागार में नियुक्त फार्मासिस्ट, नर्स, लैब तकनीशीयन आदि, के रूप में अर्हताप्राप्त चिकित्सा सहायक से है;

(ध) “कारागार का प्रभारी अधिकारी” का तात्पर्य, कारागार के प्रभारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी से है;

(न) “पैरोल” का तात्पर्य, आपातकालीन स्थितियों में उपस्थित रहने के लिये दोषसिद्ध बन्दी को उसकी सजा रोककर अल्प अवधि के लिये कारागार से अस्थायी छोड़ने, जैसा कि वह विहित किया जाये, से है;

(प) “विहित” का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित से है;

(फ) “कारागार” का तात्पर्य, बन्दियों को हिरासत में रखने तथा उन्हें सुधारात्मक सेवाएँ देने के लिए राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन स्थायी या अस्थायी रूप से उपयोग किये जानेवाले कोई स्थान या भवन तथा इसमें उससे संबंधित सभी भूमि और भवन शामिल हैं, लेकिन इसमें,—

(एक) ऐसे बन्दियों को रखने का कोई स्थान जो विशेष रूप से पुलिस की अभिरक्षा में है;

(दो) भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता, २०२३ की, धारा ४५७ के अधीन राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से निर्दिष्ट कोई स्थान ; या

(तीन) ऐसा कोई स्थान जिसे राज्य सरकार ने सामान्य या विशेष आदेश द्वारा पूरक जेल घोषित किया है;

(ब) “कारागार दल” का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा ५ में विविर्दिष्ट कारागार और सुधारात्मक सेवाएं दल, से है ;

(भ) “बन्दी” का तात्पर्य, किसी न्यायालय या सक्षम प्राधिकरण की रीट याचिका, वारंट या आदेश के अधीन कारागार की अभिरक्षा में सौंपा गया व्यक्ति, इसमें आपराधिक बन्दी, सिविल बन्दी, अभियोगाधीन बन्दी, न्यायालय द्वारा या कोर्ट मार्शल, के आदेश द्वारा, सक्षम प्राधिकरण के आदेशों के अधीन कारागार के हिंसत में भेजा गया बन्दी शामिल हैं ;

(ब) “प्रतिबंधित वस्तु” का तात्पर्य, ऐसी वस्तु से है, जिसका कारागार में प्रवेश या बाहर निकालना इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम द्वारा प्रतिषिद्ध है ;

(य) “दण्ड-पुस्तिका” का तात्पर्य, एक रजिस्टर से है, जिसमें उद्घ्रहीत प्रत्येक दण्ड के संबंध में, बन्दी, का नाम, बन्दी की पहचान संख्या तथा वह जिस प्रवर्ग से है उस प्रवर्ग (चाहे आभ्यासिक हो या नहीं हो), जिस कारागार अपराध का वह दोषी था, वह दिनांक, जिस दिन कारागार अपराध किये गये बन्दी द्वारा किए गए ऐसे पिछले कारागार अपराध किए जाने का दिनांक, तथा उद्घ्रहीत दण्ड का दिनांक, अवधि तथा उसका प्रकार अभिलेख में अन्तर्विष्ट है ;

(कक) “पुनरावर्ती अपराधी” का तात्पर्य, किसी ऐसे बन्दी से है जिसे किसी अपराध के लिए एक से अधिक बार दोषसिद्ध किया गया है ;

(कख) “छूट” का तात्पर्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी पात्र दोषसिद्ध बन्दी को जैसा की विहित किया जा सके, मंजूर की रियायत से है, जिसके फलस्वरूप बन्दी की सजा कम हो सकेगी ;

(कग) “नियमों” का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों से है ;

(कघ) “राज्य सरकार” या “सरकार” का तात्पर्य महाराष्ट्र सरकार से है;

(कङ) “अभियोगाधीन बन्दी” का तात्पर्य, ऐसा व्यक्ति जो दोषसिद्ध नहीं है और पुलिस द्वारा जाँच प्रलंबित है या सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा विचारण न्यायिक अभिरक्षा में है, ऐसे व्यक्ति से है ;

(कच) “युवा अपराधी” का तात्पर्य, ऐसा बन्दी जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है और इकिकस वर्षों की आयु पूरी नहीं की है ।

(२) इस अधिनियम में उपयोग किये गए किन्तु परिभाषित न किये गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का सन् २०२३ तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, २०००, भारतीय न्याय संहिता, २०२३ और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ क्रमशः उक्त अधिनियम और संहिता में समनुदेशित अर्थ से होगा।

का ४५।

सन् २०२३
का ४६।

सन् २०००
का २१।

अध्याय दो

कारागार और उसके प्रवर्ग

- कारागार।
३. (१) राज्य सरकार, बन्दियों को रखने के लिए पर्याप्त संख्या में कारागार उपलब्ध कराएगी ।
 - (२) कारागार में बन्दियों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगी ।
 - (३) कारागार में बन्दियों को सुरक्षा और संरक्षण के लिए यथोचित उपाय करेगी ।
 - (४) कारागार में इस अधिनियम के उपबंधों और तद्वीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में अनुशासन और दैनिक दिनचर्या बनाए रखेगी ।

(५) कारागार में बन्दियों को भोजन, वस्त्र, आवास, अन्य आवश्यकताओं तथा चिकित्सा उपचार तथा अन्य सुविधाएँ जैसा कि विहित किया जाए, दी जायेगी।

(६) बन्दियों को विधि का पालन करनेवाले नागरिकों के रूप में समाज में पुनर्वासित करने के उद्देश्य से सुधारात्मक सेवाएँ तथा पश्चात्वर्ती देखभाल सेवाएँ दी जायेगी।

४. (१) राज्य सरकार निम्नलिखित कारागार प्रवर्गों की स्थापना करने का प्रयास करेगी, अर्थात् :— कारागार के प्रवर्ग।

(क) केंद्रीय कारागार :—८०० से और अधिक बन्दियों की क्षमता रखनेवाला कारागार;

(ख) जिला कारागार वर्ग-एक :—३०० से ७९९ क्षमता रखने वाला कारागार;

(ग) जिला कारागार वर्ग-दो :—१५१ से २९९ बन्दियों की क्षमता रखने वाला कारागार;

(घ) जिला कारागार वर्ग-तीन :—५१ से १५० बन्दियों की क्षमता रखने वाला कारागार;

(ङ) विशेष कारागार.—जहाँ बन्दियों को अनुशासनात्मक आधार पर स्थानांतरित किया जाता है और वे छुट और फरलो छुट्टी जैसे कुछ विशेषाधिकारों के लिए अपात्र होते हैं वहाँ राज्य सरकार के आदेश द्वारा विशेष कारागार के रूप में पदाभिहित जिला कारागार;

(च) खुला कारागार :—बन्दियों को मुक्त करने के पश्चात् उनका पुनर्वास सरल होने के लिए नियमित कारागार के बाहर अधिक स्वतंत्रता देने के लिए नियमों द्वारा जैसा कि विहित किया जाए ऐसी शर्तों पर पात्र बन्दियों को कारागार में रखने का कारागार;

(छ) महिला कारागार.—केवल महिला बन्दियों को कारागार में रखने के लिए विशेष कारागार;

(ज) अस्थायी कारागार.—आपातकालीन या महामारी या कारागार में भीड़भाड़ की स्थिति में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए बन्दियों को कैद में रखने के लिए, सरकार या सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाये ऐसे प्राधिकारण द्वारा बन्दियों के अस्थायी कारागार के रूप में घोषित कोई स्थान या भवन;

(झ) खुली कालोनी.—पात्र बन्दियों को कैद में रखने के लिए एक स्थान, जहाँ उन्हें अपने परिवारों के साथ रहने का विकल्प हो, जैसा कि विहित किया जाए ऐसी शर्तों पर, उन्हें अधिक स्वतंत्रता देने;

(त्र) बोस्टल संस्था.—युवा अपराधियों को कैद में रखने के लिए स्थान।

(२) सरकार, उप-धारा (१) में उल्लिखित किसी भी प्रवर्ग के कारागार की संख्या तथा वह स्थान जिसे स्थापित करने का निर्धारण कर सकेगी।

(३) प्रत्येक केंद्रीय कारागार तथा जिला कारागार में उच्च जोखिम वाले बन्दियों, आभ्यासिक अपराधियों तथा बार-बार अपराध करनेवाले बन्दियों को रखने के लिए अलग वार्ड या कोठरियाँ होंगी, ताकि अन्य बन्दियों को अलग रखा जा सके तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

(४) सभी केंद्रीय या जिला कारागार में उच्च जोखिम वाले बन्दियों के वार्ड के लिए समुचित और उन्नत सुरक्षा आधारभूत संरचना तथा व्यवस्था बनाई जायेगी। ऐसे कारागार न्यायालय सुनवाई करने या न्यायिक जाँच धारित करने के लिए स्वतंत्र न्यायालय संकुल के लिए भी समुचित उपबंध किए जा सकेंगे।

अध्याय तीन

कारागारों और सुधारात्मक सेवाओं के संगठन

कारागार दल का
गठन।

५. (१) महाराष्ट्र राज्य के लिए कारागार दल निम्न से मिलकर बनेगा :—
- (क) कारागार और सुधारात्मक सेवाओं के महानिदेशक ;
 - (ख) कारागार और सुधारात्मक सेवाओं के विशेष महानिदेशक ;
 - (ग) कारागार और सुधारात्मक सेवाओं के उप-महानिरीक्षक ;
 - (घ) केंद्रीय कारागार और सुधारात्मक सेवाओं के अधीक्षक ;
 - (ङ) केंद्रीय कारागार और सुधारात्मक सेवाओं के अपर अधीक्षक या जिला कारागार और सुधारात्मक सेवाओं के अधीक्षक वर्ग एक ;
 - (च) केंद्रीय कारागार और सुधारात्मक सेवाओं के उप-अधीक्षक या जिला कारागार और सुधारात्मक सेवाओं के अधीक्षक वर्ग-दो ;
 - (छ) जिला कारागार के जेलर या अधीक्षक वर्ग-तीन ;
 - (ज) उप जेलर, सहायक जेलर ;
 - (झ) सुभेदार, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल ;
 - (ञ) जैसा कि विहित किया जाए ऐसे अन्य अधिकारी ।
- (२) कारागार दल को, इस अधिनियम और नियमों में जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शक्तियाँ होंगी, ऐसे कृत्यों का अनुपालन तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे ।
- (३) कारागार दल के प्रत्येक सदस्य को, उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, जैसा कि आवश्यक हो, आबंटित किए गए हथियारों का उपयोग करने के अधिकार होंगे ।
- (४) कारागार दल की सेवनिवृत्ति, वेतन, भत्ते और सेवा की सभी अन्य शर्तें, जैसा कि विहित किया जाए, ऐसी होंगी ।

कारागार और
सुधारात्मक
सेवाओं के
अधीक्षक ।

६. (१) कारागार और सुधारात्मक सेवाओं के अधीक्षक राज्य सरकार के गृह विभाग में निहित होंगे ।
- (२) महानिदेशक, राज्य सरकार के आदेशों के अध्यधीन कारागार के सामान्य नियंत्रण और अधीक्षण करेगा ।
- (३) सरकार, एक या अधिक विशेष महानिदेशक और उप-महानिदेशकों की नियुक्ति कर सकेगी ।
- (४) सरकार यह निदेशित कर सकेगी कि, इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन महानिदेशक के अधिकारों, कृत्यों, कर्तव्यों और दायित्वों में से राज्य में स्थित सभी कारागार के बारे में विशेष महानिरीक्षक द्वारा प्रयोग, अनुपालन या, यथास्थिति, निर्वहन कर सके ।
- (५) महानिदेशक यह निदेशित कर सकेगा कि, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसकी शक्तियों, कृत्यों, कर्तव्यों और दायित्वों तथा प्राधिकारों में से उसकी अधिकारिता के अधीन प्रदेशों में स्थित सभी कारागारों के संबंध में उप-महानिरीक्षक द्वारा प्रयोग, अनुपालन या, यथास्थिति, निर्वहन कर सके ।

(६) प्रत्येक केंद्रीय कारागार के लिए, अधीक्षक, अपर अधीक्षक और कारागार उप-अधीक्षक होंगे।

(७) अधीक्षक, यह कारागार का प्रभारी होगा और सभी अन्य अधिकारी और कर्मचारीवृंद उनके अधीनस्त होंगे तथा उनके आदेशों, अनुदेशों और निदेशनों का पालन करेंगे।

(८) कारागार अपर अधीक्षक और उप-अधीक्षक, कारागार उप महानिरीक्षक के सामान्य या विशेष आदेशों के अध्यधीन, इस अधिनियम के अधीन उपर्युक्त अधीक्षक की सभी या किन्हीं शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों को यदि प्रत्यायोजित किया है तो वह कार्यान्वयन और निर्वहन करेगा।

(९) (क) केंद्रीय कारागार के लिए अधीक्षक के श्रेणी का एक प्रभारी अधिकारी होगा।

(ख) जिला कारागार (वर्ग एक) के लिए अपर अधीक्षक की क्षेणी का एक प्रभारी अधिकारी होगा।

(ग) जिला कारागार (वर्ग दो) के लिए उप अधीक्षक की श्रेणी का एक प्रभारी अधिकारी होगा।

(घ) जिला कारागार (वर्ग तीन) के लिए जेलर की श्रेणी का एक प्रभारी अधिकारी होगा।

(१०) प्रत्येक कारागार में अनुसंचिवीय, तकनिकी और अध्यापन कर्मचारिवृंद होगा।

७. राज्य सरकार, कारागार के उचित प्रशासन के लिए जिसे वह आवश्यक समझे, ऐसे अन्य अन्य कार्मिक कार्मिक की नियमित आधार या प्रतिनियुक्ति या संविदा के आधार पर नियुक्ति कर सकेगी।

सन् २०२३ ८. बन्दी सिद्धदोष सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किये गए हैं वह भारतीय न्याय संहिता, २०२३ की सिद्धदोष सर्वेक्षक का ४५। धारा २ को खण्ड २८ के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

अध्याय चार

कारागार के अधिकारी और कर्मचारिवृंद के कृत्य, कर्तव्य और शक्तियाँ

९. (१) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन और महानिदेशकों के नियमों, आदेशों और कारागार के प्रभारी अधिकारी के कृत्य निदेशनों के अध्यधीन कारागार के प्रभारी अधिकारी उनके अधीनस्त अधिकारियों और कर्मचारिवृंद की और कर्तव्य मदद और सहायता से, बन्दियों का प्रवेश, बन्दियों की सुरक्षा, सुधारात्मक कार्यक्रम, कारागार के अंदर के अभ्यागतों को अनुमति देने, बन्दियों का व्यय, अनुशासन, शास्ति और नियंत्रण समेत सभी मामलों में और कर्तव्य कारागार का प्रबंधन करेगा तथा बन्दियों की रिहाई करेगा।

(२) कारागार का प्रभारी अधिकारी कारागार के प्रबंधन के सभी पहलूओं अनुशासन, श्रम व्यय, कारागार के उचित रखरखाव और सभी उपकरणों और यंत्रणाओं, दण्ड और नियंत्रण से संबंधित सभी मामलों के लिए जिम्मेवार होगा और उच्चतर प्राधिकारियों के आदेशों के अनुसार कार्य करेगा।

(३) कारागार का प्रभारी अधिकारी सभी दस्तावेजों या अपने देखभाल में इलेक्ट्रॉनिक रूप में अभिलेख समेत अभिलेखों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेवार होगा, तथा कारागार से निकाले गए धन और अन्य वस्तुओं के लिए ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा तथा जैसा कि विहित किया जाए ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करेगा।

(४) कारागार का प्रभारी अधिकारी अधिनियम के अधीन या जो बन्दियों के विनियमन, कारागार अनुशासन बनाए रखने और उच्च सुरक्षा वार्डोंसमेत कारागार के उचित प्रबंधन के लिए जैसा कि विहित की जाए, उसे सौंपी गयी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और अनुपालन करेगा।

(५) कारागार का प्रभारी अधिकारी कारागार के परिसर का दिन-प्रतिदिन के रखरखाव और गृह व्यवस्था के लिए नियमों के अनुसरण में कारागार की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा।

(६) कारागार का प्रभारी अधिकारी, निम्न अभिलेखों को बनाए रखेगा या बनाए रखने का कारण बनेगा :—

(क) बन्दियों के प्रवेश का रजिस्टर;

- (ख) प्रत्येक बन्दी की कब रिहाई होनेवाली है यह उल्लेख करनेवाली किताब ;
- (ग) कारागार अपराधों के लिए बन्दियों पर अधिरोपित शास्ति की प्रविष्टि के लिए शास्ति किताब ;
- (घ) कारागार के प्रशासन से संबंधित किन्ही मामलों के संबंध में अभ्यागतों द्वारा किए किन्ही आक्षेपों की प्रविष्टि के लिए अभ्यागत किताब ;
- (ङ) कारागार में प्रवेश लेते समय बन्दियों से जमा की गई राशि और अन्य वस्तुओं का अभिलेख ;
- (च) जैसा कि विहित किया जाए कोई अन्य अभिलेख ।

कारागार के
चिकित्सा
अधिकारी और
उनके कर्तव्य ।

१०. (१) प्रत्येक कारागार के लिए एक चिकित्सा अधिकारी होगा।

(२) चिकित्सा अधिकारी, बन्दियों के इलाज के लिए आवश्यक उपायों को अपनाएगा और कारागार के स्वच्छता संबंधी प्रशासन के लिए जिम्मेवार होगा और अधीक्षक के नियंत्रण के अध्यधीन, जैसा कि विहित किया जाए ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा ।

(३) यदि चिकित्सा अधिकारी का पद रिक्त है, तो निवासी चिकित्सा अधिकारी या सरकारी अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक द्वारा पदाभिहित कोई अन्य चिकित्सा अधिकारी कारागार के चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करेगा, जो कि कम से कम पखवाड़े में एक बार केंद्रिय या जिला कारागार का दौरा करेगा । ऐसा चिकित्सा अधिकारी बन्दियों के उपचार के लिए आवश्यक उपाय करेगा जब भी उसे कारागार के किसी अधिकारी या कर्मचारिवृन्द द्वारा बन्दियों की किसी बीमारी के बारे में सूचित किया जाता है ।

कठिपय मामलो
में चिकित्सा
अधिकारी को
रिपोर्ट देना ।

११. (१) जब कभी चिकित्सा अधिकारी को यह विश्वास हो कि कैदी के मन पर उसके अनुशासन या उपचार के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या पड़ने की संभावना है, तो चिकित्सा अधिकारी मामले की लिखित रिपोर्ट अधीक्षक को देगा, साथ ही ऐसी टिप्पणियां भी देगा जो उसे उचित समझे ।

(२) उसपर अधीक्षक के आदेशों की रिपोर्ट तुरंत सूचना के लिए उप महानिरीक्षक को भेजी जायेगी ।

बन्दी की मृत्यु पर
रिपोर्ट ।

१२. (१) किसी बन्दी की मृत्यु होने पर चिकित्सा अधिकारी यथा विनिर्दिष्ट निम्न मामले की सभी संबंधित विवरण और विशिष्टियों को तुरंत अभिलिखत करेगा, और कारागार के प्रभारी अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा,—

- (क) वह दिन जिस मृतक व्यक्ति ने पहली बार बीमारी की शिकायत की गयी थी या बीमार पाया था ;
- (ख) वह श्रम, यदि कोई हो, जिसमें वह उस दिन लगा हुआ था ;
- (ग) उस दिन उसके आहार का अनुमाप;
- (घ) जिस दिन उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था;
- (ङ) जिस दिन चिकित्सा अधिकारी को बीमारी के बारे में पहली बार सूचित किया गया था ;
- (च) बीमारी की स्वरूप ;
- (छ) मृतक को उसकी मृत्यु से पहले चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी के अधिनस्थ द्वारा अंतिम बार कब देखा गया था, वह दिन ;
- (ज) बन्दी के मृत्यु का दिनांक और समय ; और
- (झ) जहाँ शव परीक्षा हो गयी है उन मामलों में चिकित्सा अधिकारी द्वारा सूचित किन्ही अन्य व्योरों के साथ मृत्यु के पश्चात् का व्यौरा ।

(२) कारागार के प्रभारी अधिकारी तत्काल कारागार के संबंधित उप-महानिरीक्षक और महानिदेशक को बन्दी के मृत्यु के बारे में सूचित करेगा। वह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों में जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे अन्य प्राधिकरणों को भी सूचित करेगा।

१३. जेलर, उप जेलर या सहायक जेलर, अधीक्षक के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन,—

जेलर, उप जेलर,
सहायक जेलर के
कर्तव्य।

(क) बन्दियों का प्रभारी तथा अभिरक्षक होगा और बन्दियों को सम्पत्ति की अभिरक्षा करेगा;

(ख) कारागार में बन्दी की मृत्यु होने पर वह परिस्थिति जिसके अधीन बन्दी की मृत्यु हुई, का संक्षिप्त में बताते हुए अधीक्षक और चिकित्सा अधिकारी को तत्काल ऐसे मृत्यु की रिपोर्ट देगा;

(ग) बन्दियों द्वारा निश्चेपित राशि और अन्य वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेवार होगा;

(घ) जैसा कि विहित किया जाए ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा।

१४. प्रवेश अधिकारी के रूप में अधीक्षक द्वारा पदाधित कारागार के कर्मचारिवृन्द या अधिकारी कारागार के अंदर या बाहर के सभी कार्यान्वयन का परीक्षण करेगा; और कारागार में या के बाहर कोई प्रतिषेधित वस्तुएँ लाने का संदेह होनवाले व्यक्ति तथा कारागार से संबंधित कोई सम्पत्ति वहन करनेवाले संदिग्ध किसी व्यक्ति को रोक सकेगा और की जाँच कर सकेगा तथा जाँच का कारण बनेगा और यदि कोई ऐसी वस्तु या सम्पत्ति पाई जाती है तो तत्काल उसकी सूचना जेलर को देगा।

प्रवेशद्वारा
अधिकारी का
कर्तव्य।

१५. (१) कारागार के महानिदेशक, विशेष महानिरीक्षक या उप-महानिरीक्षक, जैसा कि विहित किया जाए, किसी कदाचार के लिए, किसी अधिकारी या कर्मचारी जो श्रेणी में उनसे अधिनस्थ है, के विरुद्ध ऐसी अनुशासनिक कार्यवाही कर सकेगा।

किसी अधिनस्थ
अधिकारी या
कर्मचारी के विरुद्ध
अनुशासनात्मक
कार्यवाही।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उपबंधित शास्ति महाराष्ट्र सिविल सेवाएँ (अनुशासन और अपील) नियम, १९७९ में उन विहितों के अतिरिक्त होंगी।

१६. कारागार के सभी अधिकारी और कर्मचारी कर्तव्य पर है ऐसा हमेशा समझा जायेगा और कारागार के किसी हिस्से में या महाराष्ट्र राज्य के भीतर किसी अन्य स्थान पर तैनाती कि लिए उपलब्ध रहेंगे।

अधिकारी और
कर्मचारी हमेशा
कर्तव्य पर है ऐसा
समझा जायेगा।

अध्याय पाँच

कारागार के अधिकारियों और कर्मचारियों का सामान्य आचरण

१७. कारागार के सभी अधिकारी और कर्मचारी, महाराष्ट्र सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, सेवा नियम १९७९, महाराष्ट्र सिविल सेवाएं (अनुशासन और अपील) नियम, १९७९ और जैसा कि विहित किया जाए, कोई अन्य नियमों द्वारा शासित होंगे।

१८. कारागार के अधिकारी और कर्मचारी और उनके रिश्तेदार बन्दियों के साथ कोई कारोबारिक लेन-देन नहीं करेंगे और कारागार अनुबंधों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई रुचि नहीं लेंगे।

कारोबार लेन-देन
का प्रतिषेध।

१९. कारागार के अधिकारी और कर्मचारी तथा उनके रिश्तेदार, बन्दी या बन्दियों के रिश्तेदारों या उनके मित्रों से कोई भेट स्वीकार नहीं करेंगे।

भेट स्वीकृति का
प्रतिषेध।

२०. कारागार के अधिकारी और कर्मचारी कोई संघ या संघठन में शामिल नहीं होंगे, या कोई संघ बनाने का गतिविधि, जो कारागार की सुरक्षा, अनुशासन और सूचारू कामकाज को हानिकारक है, हाथ में नहीं लेंगे।

संघ बनाने का
प्रतिषेध।

२१. कारागार के अधिकारी और कर्मचारी यदि उपलब्ध है, कारागार के निवासस्थानों में रहेंगे अन्यथा अधीक्षक की लिखित अनुमति से कहीं अन्य स्थान पर रहेंगे।

कारागार के
निवासस्थानों में
रहना।

अनधिकृत गैरहाजिरी न हो। २२. कारागार का कोई कर्मचारी अधीक्षक से अनुमति प्राप्त किए बिना रात के दौरान कारागार निवासस्थानों से अनुपस्थित नहीं रहेगा और यदि कारागार कर्मचारी कई अपरिहार्य आवश्यकता के कारण, बिना अनुमति प्राप्त किए कारागार निवासस्थानों से अनुपस्थित रहता है, तो वह अधीक्षक को तत्काल उसके कारणों की रिपोर्ट देगा।

विधि आदेशों का आज्ञापालन। २३. कारागार के सभी अधिकारी और कर्मचारी उनके उच्चतर प्राधिकारियों के विधि आदेशों और निदेशों का आज्ञापालन करेंगे।

अध्याय छह

कल्याण निधि।

कल्याण निधि। २४. (१) सरकार, राज्य में कारागार और सुधारात्मक सेवाओं के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक कल्याण निधि गठित करेगी और जैसा कि विहित किया जाए ऐसे प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग कर सकेगी।

(२) कल्याण निधि में, निम्न राशि निष्केपित की जायेगी, अर्थात्—

- (क) राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोई अनुदान ;
- (ख) कारागार के सभी अधिकारी और कर्मचारी से प्राप्त मासिक अंशदान ;
- (ग) कोई व्यक्ति या संघटन से प्राप्त उत्तरदान, दान, विन्यास या अन्य अनुदान ;
- (घ) निधि की शेष रकम के निवेशन से उपगत ब्याज ;
- (ड) जैसा कि विहित किया जाए कोई अन्य रकम।

अध्याय सात

कारागारों का निरीक्षण।

कारागारों का निरीक्षण। २५. महानिदेशक यह सुनिश्चित करेगा कि, सभी कारागारों का निरीक्षण उचित श्रेणी के अधिकारी द्वारा जैसा कि विहित किया जाए ऐसे अंतराल पर किया जाएगा।

अभ्यागतों का बोर्ड। २६. (१) प्रत्येक कारागार में एक अभ्यागत बोर्ड होगा, जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट होंगे तथा अन्य सदस्य विहित किया जाए ऐसी संख्या में होंगे।

(२) बोर्ड इस अधिनियम तथा तद्वीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक तीन महीने में एक बार कारागारों का निरीक्षण करेगा।

(३) प्रत्येक निरीक्षण के पश्चात् बोर्ड के निर्देशों और सुझावों सहित एक रिपोर्ट संबंधित उप-महानिरीक्षक या महानिदेशक को भेजी जाएगी।

अध्याय आठ

कारागार वास्तुकला और आवास।

कारागार वास्तुकला। २७. (१) कारागार की वास्तुकला और डिज़ाइन, तलपृष्ठ, परिसर वायु संचार, जेल का एकात्म कमरा, बैरक, शौचालय, स्नानगृह, रसोईघर, कार्यस्थल, अस्पताल आदि, जैसा कि विहित किया जाए ऐसे मानकों और अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे।

(२) प्रत्येक कारागार के लिए सुरक्षा मानक जैसा कि विहित किया जाए ऐसे होंगे।

(३) कारागार की विभिन्न श्रेणियों के बन्दियों के पृथकरण और अलग आवास की सुविधा देने के लिये और बन्दियों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये डिज़ाइन किया जा सकेगा जैसा कि महिलाएँ, ट्रान्सजेडर, विकलांग व्यक्तियों या संक्रामक रोग, मानसिक बीमारी या मादक द्रव्यों के सेवन से पीड़ित व्यक्ति, वृद्ध या अशक्त बन्दी, विचाराधीन बन्दी, दोषी बन्दी, उच्च सुरक्षा बन्दी, आद्यतन अपराधी, पुनरावर्ती बन्दी, युवा अपराधी, सिविल बन्दी, बन्दी गिरोह के सदस्य हैं आदि, जैसा कि विहित किया जाए।

(४) कारागार के नक्शे में कारागार के अधिकारियों और कर्मचारियों के कृत्यकारी आवश्यकतों के अनुसार सुख सुविधाओं और अन्य सुविधाएं शामिल की जा सकेगी।

(५) सरकार संनिर्माण को विनियमित करने तथा विभिन्न श्रेणियों के कारागारों की परिधि दिवारों से ऐसी दूरी के भीतर बफर जोन बनाने के लिए नियम बनाएगी, जो उसमें विहित किया जा सके।

२८. (१) सरकार खुला कारागार और खुली बस्ती में ऐसी सुवाधाएं या रियायते दे सकेगी, जो खुला कारागार और खुली बस्ती। बन्दीयों को समाज में उनके पुनर्वास में सहायक हो सके।

(२) खुला कारागार और खुली बस्ती के प्रबंधन के लिये नियम बंदी को ऐसे कारागार में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया तथा पात्रता तथा ऐसे बंदी को खुला कारागार और खुली बस्ती में स्थानांतरित करने की शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि विहित किया जा सके।

अध्याय नौ

बन्दियों का वर्गीकरण

२९. (१) प्रत्येक कारागार में वर्गीकरण तथा सुरक्षा निर्धारण समिति अधीक्षक जो अध्यक्ष होगा वर्गीकरण और तथा जेलर (प्रशासन), जेलर (आंतरिक सुरक्षा) और सदस्य के रूप में शामिल चिकित्सा अधिकारी से सुरक्षा निर्धारण समिति। मिलकर एक वर्गीकरण और सुरक्षा निर्धारण समिति होगी।

(२) समिति सबसे पहले निम्नलिखित में से बंदी को प्रकार का अभिनिश्चयन करेगी :

- (क) सिविल बंदी ;
- (ख) सिद्धोष बंदी ;
- (ग) स्थानबद्ध बंदी;
- (घ) नजरबन्ध बंदी;
- (ङ) बार-बार अपराध करनेवाले या आद्यतन अपराधी ;
- (च) मृत्युदण्ड की सजा पाए गए बंदी;
- (छ) दण्डित बंदी;
- (ज) जैसा कि विहित किया जा सके ऐसे किसी अन्य प्रकार के बंदी।

(३) समिति, कारागार में भर्ती बन्दियों को उनकी आयु, लिंग, सजा, सुरक्षा और सुरक्षा आवश्यकताओं, सुधारात्मक आवश्यकता आदि के अनुसार निम्नलिखित श्रेणीयों में वर्गीकृत करेगी, अर्थात् .—

- (क) लिंग के अनुसार : पुरुष, महिला और ट्रान्सजेंडर ;
- (ख) बच्चे वाली महिला बन्दियों ;
- (ग) युवा अपराधी;
- (घ) वृद्ध और अशक्त बन्दियों;
- (ङ) मानसिक बीमारियों से पीड़ित बन्दियों ;
- (च) पहली बार अपराध करनेवाले;
- (छ) नशीली दवाओं और शराबी अपराधी;
- (ज) विदेशी बन्दियों ;

- (झ) संक्रामक रोग या दिर्घकालिक बीमारी से पीड़ित बन्दियों ;
 (ज) उच्च जोखिम वाले बन्दियों ;
 (ट) कोई अन्य प्रवर्ग जैसा कि विहित किया जाए।
- (४) उप-धारा (२) और (३) के अधीन बन्दियों के प्रकार और प्रवर्ग की सुनिश्चित करने के पश्चात् किसी बंदी को इस प्रकार अलग-अलग रखा जा सकेगा कि एक-दुसरे के साथ किसी भी प्रकार की बातचित न हो ।

(५) कारागार के प्रभारी अधिकारी उच्च जोखिम वाले बंदी की सुरक्षा और सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष सावधानी और सतर्कता बरतेगा, जैसा कि सरकार द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जा सके।

अध्याय दस

बन्दियों का प्रवेश, अंतरण और छोड़ना ।

बंदियों का प्रवेश । ३०. (१) किसी कारागार का प्रभारी-अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे इस अधिनियम के अधीन, किसी न्यायालय या किसी सक्षम प्राधिकरण उसकी अभिरक्षा में सम्यक्तया सौंपा गया हो, किसी रिट, वारंट या आदेश की आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा और तब तक निरुद्ध रखेगा, जिसके द्वारा ऐसे व्यक्ति को कारागार में सौंपा गया हो, जब तक कि ऐसे व्यक्ति के विधि के अनुसार छोड़ा या हटाया जायेगा ।

(२) कारागार का प्रभारी अधिकारी ऐसे रिट, वारंट या आदेश के निष्पादन के पश्चात् या उसके द्वारा प्रतिबद्ध व्यक्ति के उन्मोचित होने के पश्चात् उसे उस न्यायालय को वापस कर देगा जिसके द्वारा उसे जारी किया गया था, साथ में सम्यक्तया हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र भी होगा, जिसमें यह दर्शाया जायेगा कि उसे किस प्रकार निष्पादित किया गया है या उसके द्वारा प्रतिबद्ध व्यक्ति को उसके निष्पादन से पूर्व हिरासत से क्यों छोड़ दिया गया है।

(३) कारागार का प्रभारी अधिकारी किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए किसी न्यायालय या सक्षम प्राधिकरण द्वारा पारित या जारी किए गए किसी दण्डादेश या आदेश या वारंट को प्रभावी करेगा, जो वर्तमान में लागू किसी विधि के प्रावधानों के अंतर्गत हो ।

(४) किसी संदेह या अस्पष्टता की स्थिति में कारागार का प्रभारी अधिकारी निष्पादन के लिए उसे भेजे गए वारंट या आदेश को स्पष्टीकरण के लिए उसके जारीकर्ता प्राधिकरण को संदर्भित कर सकता है। विलंबित ऐसे संदर्भ बंदी को, वारंट या आदेश में यथा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी रीत्या में रोक सकेंगे ।

(५) चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रत्येक बंदी की उसके प्रवेश के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, परीक्षण करेगा जो उसके द्वारा बनाए रखे जानेवाले विहित किताब या प्रारूप में ब्यौरे को दर्ज करेगा या करने का कारण बनेगा। इसमें बंदी की स्वास्थ्य स्थिति का विवरण दर्ज किया जायेगा, जिसमें उसकी पिछली कोई बीमारी, उसके शरीर पर कोई घाव या निशान, कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है तो श्रम की श्रेणी और अन्य अवलोकन शामिल है जिसे जोड़ना चिकित्सा अधिकारी उचित समझे ।

(६) कोई व्यक्ति अवरोधन के लिए कारागार में प्रवेशित नहीं होगा जब तक किसी न्यायालय द्वारा या कोई अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा कारागार के प्रभारी अधिकारी को संबोधित कर अपराध का कोई सम्यक्तया वारंट या अपराध के किसी आदेश के अधीन का प्रस्तुतीकरण नहीं करता है।

कारागार की तलाशी । ३१. (१) जब कभी बंदी कारागार में प्रवेश करता है, उसकी पूरी तलाशी ली जायेगी, और सभी नकद, जेवर या अन्य मूल्यवान जो उचित प्राधिकारी से कारागार में लाया जा सका है, उससे कारागार के प्रभारी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा लिया जायेगा और जैसा कि विहित किया जाए ऐसे रीत्या निपटान करेगा ।

(२) यदि बंदी के पास कोई प्रतिषेधित वस्तुएँ पाई जाती हैं तो उसे जब्त किया जायेगा ।

(३) महिला या ट्रान्सजेंडर बन्दियों के मामले में तलाशी या ऐसे परीक्षण जैसा कि विहित किया जाए समुचित रीत्या कार्यान्वित किया जायेगा।

सन् २०२२ का ११। (४) कारागार में प्रवेशित प्रत्येक बंदी, आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, २०२२ और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसरण में ऐसे शारीरिक और बायोमेट्रिक पहचान उपायों की प्रक्रिया से गुजरेगा।

(५) कारागार से बाहर जानेवाला या कारागार में प्रवेश करनेवाले प्रत्येक बंदी को ऐसे निकास पर या कारागार में प्रवेश लेने पर भी संपूर्ण तलाशी और शारीरिक तथा बायोमेट्रिक पहचान से गुजरना होगा।

(६) कोई बन्दी कोई प्रतिषेधित वस्तु की खोज के लिए किसी समय पर संपूर्ण तलाशी लेने के लिए दायी होगा।

३२. (१) सभी बन्दियों को कोई अन्य कारागार में अंतरण करने के पूर्व चिकित्सा अधिकारी बंदी का अंतरण द्वारा जाँच की जायेगी।

(२) जहाँ कोई व्यक्ति, राज्य के कारागार में कारावास के दण्डादेश के अधीन, या मृत्यु के दण्डादेश के अधीन या जमने की अदायगी में चूक करने या शांती बनाए रखने या सद्वर्तन बनाए रखने के लिए सुरक्षा देने में चूक करने के अधीन राज्य के कारागार में नजरबन्द है, वहाँ सरकार अन्य राज्य की पारस्परिक सहमति से, आदेश द्वारा बंदी को उस कारागार से राज्य के अन्य कारागार में अंतरण करने के लिए उपबंध करेगी।

(३) किसी विचाराधिन बन्दी का एक राज्य से अन्य राज्य में अंतरण प्रतिप्रेषण न्यायालय के सहमति से होगा।

(४) महानिदेशक या विशेष महानिरीक्षक, किसी बन्दी का राज्य के भीतर एक कारागार या अन्य कारागार में अंतरण करनेवाला सक्षम प्राधिकरण होगा।

(५) उप महानिदेशक, उसकी अपनी अधिकारिता के भीतर किसी बन्दी को एक कारागार से अन्य कारागार में अंतरण करनेवाला सक्षम प्राधिकरण होगा।

(६) विचाराधिन बन्दियों का अंतरण विचाराधिन न्यायालय के सूचना के अधीन अन्तरित किया जायेगा।

३३. (१) कारागार में विदेशी बन्दी के प्रवेश की जानकारी, महानिदेशक को तुरंत भेजी जायेगी, विदेशी बन्दियों जो उसे, भारत सरकार के विदेश कार्य मंत्रालय या कोई अन्य अभिकरण जिसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अंग्रेषित करेगा।

सन् २००३ का ४९। (२) कतिपय बन्दियों का भारत से भारत के बाहर अन्य देश या स्थान में अंतरण, और कतिपय बन्दियों का अन्य देश या भारत से बाहर स्थान से भारत में अभिग्रहण, बन्दी संप्रत्यावर्तन अधिनियम, २००३ के उपबंधों के अनुसरण में किया जायेगा।

३४. कोई बन्दी का यदि वह तीव्र या भयानक संकटपूर्ण बीमारी के अधीन है तो जब तक चिकित्सा बन्दियों की रिहाई। अधिकारी यह प्रमाणित नहीं करता है कि ऐसा, निर्वहन सुरक्षित है, तब तक बन्दी का कारागार से निर्वहन नहीं किया जायेगा।

अध्याय ग्यारह

बन्दियों का अनुशासन।

३५. निम्न कृत्य, जब बन्दियों द्वारा घटित होते हैं, वह कारागार अपराध होगा:

कारागार अपराध।

(क) इस अधिनियम या तद्वान विरचित नियमों के अधीन यथा विहित कारागार का कोई नियम या विनियम की जानबूझकर अवज्ञा करता है;

(ख) किसी व्यक्ति पर हमला करता है या बल का प्रयोग करता है;

(ग) जान-बूझकर और लगातार अपमानजनक या धमकीभरी भाषा का उपयोग करता है;

- (घ) अनैतिक या अनुचित या उत्पाती आचरण;
- (ङ) जानबूझकर खुद को श्रम करने से असर्मर्थ बनाना;
- (च) जहाँ बन्दी को कठोर कारावास की सजा दी जाती है वहाँ काम करने से लगातार अस्वीकार करना;
- (छ) कठोर कारावास का दण्डादेश दिए हुए किसी दोषसिद्ध बन्दी द्वारा काम के प्रति जानबूझकर आलस्य करना या उपेक्षा करना;
- (ज) कठोर कारावास का दण्डादेश दिए हुए किसी सिद्धदोष बन्दी द्वारा जानबूझकर कार्य का कुप्रबंधन करना;
- (झ) कारागार की सम्पत्ति का जानबूझकर नुकसान करना;
- (ज) भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में बनाए रखे गए इतिवृत्त पत्रक, अभिलेख या दस्तावेजों में हस्तक्षेप करना या उनको विरूपित करना :
- (ट) कोई प्रतिषेधित वस्तु को प्राप्त करना, कब्जे में लेना या अंतरण करना;
- (ठ) किसी कारागार पदधारी या कर्मचारिवृन्द के विरुद्ध मिथ्या अभियोग लगाना ;
- (ड) उसकी जानकारी में घटित कोई आग, घडयंत्र या साजिश घटने के तुरंत रिपोर्ट देने से छोड़ देना या अस्वीकार करना, मोबाइल, नशीली दवा, हथियार, मुद्रा जैसे विनिषिद्ध वस्तु का उपयोग करना या भागने का प्रयास करना या भागने की तैयारी करना या किसी बन्दी या कोई अन्य व्यक्ति या कारागार के पदधारी पर हमला करना;
- (ढ) भागना या भागने का प्रयास करना, भागने साजिश करना या भागने में सहायता करना;
- (ण) तारविहीन संसूचना यंत्र, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और उनके सहायक घटक का अनधिकृत रूप से उपयोग करना या अपने पास रखना ;
- (त) कारागार परिसरों में या उसके चारों तरफ, जहाँ प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, अतिक्रमण करना या अतिक्रमण करने का प्रयास करना, आवारा फिरना;
- (थ) कारागार से बाहर के किसी व्यक्ति से अनधिकृत सम्पर्क करना;
- (द) कारागार का पदाधिकारी या कर्मचारी होने का दावा करना या किसी प्रकार का छद्रमरूपण;
- (ध) कोई प्रतिषेधित वस्तु को तस्करी करना, या तस्करी करने का प्रयास करना ;
- (न) कारागार पदाधिकारियों या कर्मचारियों के विरुद्ध मिथ्या अभ्यावेदन बनाने के लिए सहचर बन्दियों को धमकाना ;
- (प) सामूहिक भूख हड़ताल, आंदोलन या अवज्ञा या अनुशासनहीनता के किसी अन्य कार्य में भाग लेना या उसे भड़काना;
- (फ) यौन उत्पीड़न या गुदामैथुन;
- (ब) जुआ, सट्टा आदि जैसी असामाजिक गतिविधियों में भाग लेना उनका आयोजन करना ;
- (भ) उपर्युक्त किसी भी अपराध को करने में सहायता करना या उसे बढ़ावा देना;
- (म) बीमारी का बहाना करना;
- (य) कोई अन्य कृत्य जिसे विहित किया जा सके।

- बन्दियों के लिए** **३६.** (१) कारागार का प्रभारी अधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधो और तद्वीन बनाए गए नियमों अनुशासन के अनुसार कारागार में बन्दियों के बीच अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा।
प्राधिकारी।
- (२) कारागार में अनुशासन प्रवृत्त करने की रीति जैसा कि विहित किया जाए ऐसी होगी ।
- बन्दियों का** **३७.** प्रत्येक बन्दी का यह कर्तव्य होगा कि, कारागार के अधिकारियों और कर्मचारियों के आदेशों कर्तव्य। और अनुदेशों का आज्ञापालन करें और इस अधिनियम के उपबंधों का पालन करें और जैसा कि विहित किया जाए ऐसे अन्य निदेशनों अनुपालन करें।

३८. कारागार के प्रभारी अधिकारी, इस अधिनियम और नियमों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट जाँच आयोजित करने के पश्चात् धारा ३५ में विनिर्दिष्ट कारागार अपराधों के संबंध में निम्नलिखित कारागार अपराधों के लिए शास्ति ।

शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, अर्थात् :-

- (क) औपचारिक चेतावणी, जो अधीक्षक द्वारा बन्दी को व्यक्तिगत रूप से संबोधित करके दी है और वह शास्ति किताब में और बन्दियों के इतिवृत्त पत्रक में अभिलिखित की जायेगी;
- (ख) एक महीने की अवधि तक कैटिन सुविधा समेत मनोरंजनात्मक सुविधाएं रोकना;
- (ग) श्रम में बदलाव करना;
- (घ) तीन महीने तक छूट अवधि का सम्पहरण करना;
- (ड) अपराधी निरीक्षक, रात्रकालीत चौकीदार आदि, जैसी जिम्मेदारियों से स्थायी रूप से हटाना;
- (च) अन्य बन्दियों से अलग रखना (एकान्त परिरोध नहीं);
- (छ) एक महीने से अनधिक अवधि के लिए सभी अभ्यागतों से मिलना बंद करना (अधिवक्ता से मिलने का छोड़कर);
- (ज) अन्य कारागार में अंतरण करना;
- (झ) जैसा कि विहित किया जाए ऐसी अन्य शास्तियाँ।

३९. अधीक्षक, धारा ४१ के अधीन प्रतिषेधित कृत्यों और उनके घटित होने पर उपगत शास्तियाँ प्रतिषेधित कृत्य विनिर्दिष्ट अंग्रेजी और देशी भाषा में प्रदर्शित की गई सूचना कारागार के बाहरी स्थान पर सहज सदृश्य स्थान आर शास्तियों का सुस्पष्ट रूप में चिपकायी जायेगी। प्रकाशन ।

४०. (१) प्रत्येक कारागार में शास्ति किताब बनाए रखी जायेगी। शास्ति किताब में प्रविष्टियाँ।
- (२) प्रत्येक गंभीर कारागार अपराध के मामले में साक्षी के रूप में साक्ष देने वाले बन्दियों के नाम अभिलिखित किए जायेंगे।
- (३) कारागार के प्रभारी अधिकारी साक्षीयों के साक्ष की वास्तविकता, बन्दी की सुरक्षा और उसके लिए कारणों सहित निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।
- (४) अधीक्षक और जेलर प्रत्येक शास्ति से संबंधित प्रविष्टियों पर प्रविष्टि के सुधार प्रमाणित करने के लिए अपने हस्ताक्षर करेंगे।

अध्याय बारह

कारागारों से संबंधित अपराध ।

४१. जो कोई, इस अधिनियम के उपबंधों या तद्वीन बनाए नियमों के उल्लंघन में,— कारागार से संबंधित अपराध ।
- (क) किसी कारागार से किसी बन्दी को हटाने या हटाने का प्रयास करेगा;
 - (ख) किसी बन्दी को कोई प्रतिषेधित वस्तु की आपूर्ति करना या आपूर्ति करने का प्रयास करेगा ;
 - (ग) किसी बन्दी से सम्पर्क करेगा, या सम्पर्क करने का प्रयास करेंगा या ;
 - (घ) इस धारा द्वारा शास्ति योग्य कोई अपराध करने के लिए उकसायेगा, के दोषसिद्धि पर छह महीने की अवधि तक बढ़ाए जा सकनेवाले कारावास से, या पच्चीस हजार रुपयों तक के जुमाने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

मोबाईल फोन या ४२. (१) बंदि कारावास में मोबाईल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसुचना उपकरण अपने पास अन्य विनिषिद्ध नहीं रखेगा या उपयोग नहीं करेगा।
उपकरण अपने पास रखने या (२) जो कोई बन्दि या अभ्यागत कर्मचारी होकर अधिनियम के किन्ही उपबंधों या तद्वीन बनाए गए उपयोग करने पर नियमों के उल्लंघन में,—
शास्ति।

(एक) कारावास के अधिकारी या ऐसे उपकरणों को अपने पास रखता है या उपयोग करते हुए पाया जाता है या ऐसे उपकरणों को लाता है या हटाता है;

(दो) किसी भी तरह से किसी भी जेल या आपूर्ति में कोई निषिद्ध वस्तु लाने या हटाने का प्रयास करता है या किसी बंदि को आपूर्ति करने का प्रयास करता है;

(तीन) जानबूझकर किसी ऐसी वस्तु किसी कारावास में लाने या वहाँ से ले जाने की अनुमति देना, किसी बंदि के कब्जे में रखना या किसी बंदि की आपूर्ति करना;

(चार) किसी बंदी से वार्तालाप करता है या करने का प्रयास करता है, या

(पाँच) इस धारा के अधीन दंडनीय किसी अपराध को दुष्प्रेरित करेगा, दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या पच्चीस हजार रुपयों तक के जुमानि से, या दोनों से दंडित किया जायेगा।

(३) जो कोई बंदी या अभ्यागत या कारावास के अधिकारी या कर्मचारी होते हुए किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या वायरलेस संचार उपकरण या किसी भी उसके सहायक घटक को अपने कब्जे में या संचालित या उपयोग करते हुए पाया जाता है या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उसके आपूर्ति में सहायता करते या उकसाते या उकसाते पाया जाता है या यदि ऐसा कोई व्यक्ति कारावास में किसी भी उपकरण इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा में हेरफेर करते, नुकसान करते या नष्ट करते हुए पाया जाता है, तो दोषसिद्धि पर उसे दो वर्ष से अनिम्न परंतु जिसे तीन वर्षों तक बढ़ाई जा सकने वाली अवधि के कारावास से या पच्चीस हजार रुपयों तक के जुमानि से, या दोनों से, दंडित किया जायेगा।

(४) यदि बंदी पहले से ही कोई सजा काट रहा है तो उसे अपनी सजा पूरी होने पर इस धारा के अधीन दी गई सजा काटनी होगी।

कारावास अपराध बार-बार करने की प्रक्रिया। ४३. (१) यदि कारावास परिसर में कोई बंदि कारावास अनुशासन के विरुद्ध किसी अपराध की दोषी है, जो उसके द्वारा बार-बार ऐसा अपराध किये जाने के कारण या अन्यथा, भार साधक अधिकारी की राय में किसी ऐसे दंड द्वारा पर्याप्त रूप से दंडनीय नहीं है, जिसे देने की शक्ति उसे इस अधिनियम के अधीन है, तो भारसाधक अधिकारी ऐसे बंदि के मामले को परिस्थिति के कथन के साथ अधिकारिता रखनेवाले मजिस्ट्रेट को भेजेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट तत्पश्चात् बंदि के विरुद्ध इस प्रकार लाए गए आरोप का विचारण करेगा और दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जायेगा।

(२) यदि बन्दि किसी दंडादेश की पहले से ही सजा काट रहा हो तो वह पूरी होने पर इस धारा के अधीन दी गई सजा काटनी होगी।

अध्याय तेरह

बन्दियों को सुविधाएँ

बन्दियों के लिए भोजन, कपड़ा भोजन की मात्रा नियमों द्वारा विहित होगी। ४४. (१) सभी बन्दियों को सरकारी व्यय पर भोजन का उपबंध किया जायेगा तथा परोसे जानेवाले और बिस्तर।
(२) प्रत्येक सिद्धदोष बन्दी को जैसा कि विहित किया जाए, एकसमान पोषाक परिधान करना आवश्यक होगा।

(३) सभी के बन्दियों को सरकारी व्यय पर बिस्तर का उपबंध किया जायेगा। विचाराधिन और सिविल बन्दियों को कारागार प्राधिकरणों द्वारा जाँच करने के अध्यधीन अपने खुद के बिस्तर का उपयोग कर सकेंगे।

(४) किसी बन्दी से संबंधित भोजन, कपड़ा, बिस्तर या अन्य आवश्यकताओं का कोई हिस्सा किसी अन्य बन्दी को नहीं देगा या भाड़े पे नहीं देगा या विक्रय नहीं करेगा, और कोई बन्दी जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करने पर कारागार के प्रभारी अधिकारी जिसे वह उचित समझे ऐसे समय के लिए वस्तुएं खरीदने के विशेषाधिकार को गँवा देगा।

४५. सरकार, कारागार परिसरों में कँटीन सुविधा उपलब्ध कर सकेगी, जिसमें से बन्दी नियमों कँटीन सुविधा। के अनुसरण में अनुमति वस्तुएं खरीद सकेंगी।

४६. (१) प्रत्येक दोषसिद्ध बन्दी को जबतक वह अभिरक्षा में है काम दिया जायेगा, विचाराधिन काम और वेतन। बन्दियों, सिविल बन्दियों और सामान्य कारावास के दण्डादेश वाले बन्दी जब वह अभिरक्षा में है, यदि इच्छा और उपलब्ध हो, काम करने का अवसर दिया जा सकेगा, और जैसा कि विहित किया जाए, अनुपतिक मजदूरी अदा की जायेगी।

(२) किसी बन्दी द्वारा प्राप्त मजदूरी और व्यय, स्थगित मजदूरी को विशिष्टताएँ और उससे संबंधित मामले कारागार के प्रभारी-अधिकारी द्वारा बनाए रखी जायेगी।

(३) दोषसिद्ध बन्दी को उसे समनुदेशित किए गए कार्य के लिए तथा उसकी कैद के दौरान के उसके आचरण के लिए, नियमों के अधीन यथा विहित दण्डादेश में छूट प्रदान की जा सकेगी।

४७. (१) सभी बन्दीयों को जैसा कि विहित किया जाए पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ दी जायेंगी। बन्दियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल

(२) जब कभी बन्दी को चिकित्सा इलाज के लिए कारागार से बाहर भेजे जाने की आवश्यकता होती है तब पुलिस विभाग और लोक स्वास्थ्य विभाग, कारागार दल की आवश्यकता को तत्काल प्रतिक्रिया देंगे।

सन् २०१७ का १०। (३) सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा मानसिक बीमारीवाले किसी बन्दी को जहाँ उसे सानबाध्द का १०। रखा है वहाँ से राज्य में अन्य किसी मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम २०१७ की धारा १०३ के अधीन बोर्ड की पूर्वानुमति से अंतरण करने के निदेश दे सकेगी।

(४) इस धारा के अधीन बन्दियों का अंतरण किया जाता है वह पद्धति, रूपरेखा और प्रक्रिया जैसा कि विहित किया जाए ऐसी होगी।

४८. (१) कारागार प्राधिकरण के उचित पर्यवेक्षण के अधीन बन्दीयों का भौतिक या आभासी पद्धति के जरिए उनके रिश्तेदारों और मित्रों से सम्पर्क कर सकेंगे। बन्दियों के पास आनेवाले सभी इन अभ्यागतों का बायोमेट्रिक प्रमाणिकरण या पहचान के जरिए सत्यापित या प्रमाणिकृत किया जायेगा। रिश्तेदारों, मित्रों साथियों और विधि सलाहकारों से सम्पर्क।

(२) प्रत्येक अभ्यागत की पहचान सत्यापित की जायेगी और जैसा कि विहित किया जाए ऐसे रीत्या, अभिलेख बनाये रखा जाएगा।

(३) विदेशी बन्दियों का जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रीत्या में उनके रिश्तेदारों और दूतावास प्रतिनिधियों से सम्पर्क कर सकेंगे।

(४) बन्दियों को जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रीत्या में विधि सलाहकार से सम्पर्क कर सकेंगे।

सन् १९८७ का ३९। (४९) सरकार, विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम, १९८७ के उपबंधों तथा तद्वीन बनाए गए नियमों विधि सहायता।

के अनुसार और विनियमों के अनुसरण में बन्दी को मुफ्त कानूनी सहायता दे सकेगी।

५०. (१) फलों और पौरोल छुट्टी सिद्धदोष बन्दियों को, जैसा कि विहित किया जाए ऐसी पात्रता फलों और पौरोल के अनुसार और ऐसे शर्तों पर मंजूर की जा सकेगी। छुट्टी।

(२) बन्दी द्वारा फलों या पौरोल छुट्टी किसी शर्तों के उल्लंघन पर फलों या पौरोल छुट्टी रद्द की जायेगी।

(३) सिद्धांदोष उच्च जोखिमवाला, कठोर और आभ्यासिक बन्दियों को, ऐसे बन्दियों कि गतिविधि और क्रियाकलापों का मानिटरिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक खोज उपकरण या जीपीएस उपकरण परिधान करने की सम्मति की शर्त पर, उसके लिए बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार फलों या पैरोल मंजूर दी जा सकेगी।

(४) ऐसे बन्द द्वारा किसी उल्लंघन पर फलों या पैरोल रद्द की जायेगी इसके अलावा जैसा कि विहित किया जाए, भविष्य में कोई फलों या पैरोल मंजूर करने के लिए निरर्ह हो जाएगा।

(५) समाज और पीड़ित की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सरकार उच्च जोखिमवाले बन्दियों, कठोर अपराधीयों और आभ्यासिक अपराधी और ऐसे अन्य बन्दियों को, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक निर्धारण के पश्चात्, पैरोल या फलों पर छोड़े जाने पर निर्बंध लगा सकेगी।

फलों या पैरोल ५१. यदी कोई सजा स्थगित की है या माफ है या फलों या पैरोल छुट्टी पर छोड़ देने की किसी आदि, छुट्टी की शर्तों के उल्लंघन होने पर वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति । ऐसी शर्तों पर या जिसके अध्यधीन ऐसे अधिकारों का प्रयोग करनेवाले प्राधिकरण की राय में उसने मंजूर की गयी शर्त की परिपूर्ति नहीं की है तो, ऐसा प्राधिकारी ऐसा स्थगिती माफ या फलों या पैरोल छुट्टी पर छोड़ने का उसका मंजूरी आदेश रद्द कर सकेगा और उसपर, उस व्यक्ति के पक्ष में ऐसा आदेश दिया गया था तो उसे वारंट के बिना कोई पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करेगा और उसे अपनी सजा का शेष अवधि भुगतने के लिये रिमांड पर लिया जा सकेगा।

सजा आदि की स्थगिती के शर्तों के उल्लंघन के लिए आपराधिक दायित्व ५२. (१) यदि कोई बन्दी जिसकी सजा स्थगित या माफ की गयी थी या फलों या पैरोल छुट्टी देने की अनुमति दी गयी थी तो उसने बिना पर्याप्त कारणों से उन शर्तों के लिये किसी भी दायित्व का पालन करने में विफल रहता है, तो उसे दोषसिद्धि पर, ऐसी सजा उस सजा के अतिरिक्त होगी, जो ऐसे बन्दी ने ऐसा अपराध किया था उस समय सजा भुगती थी। दो वर्षों तक की अवधि के कारावास या वीस हजार रुपयों तक बढ़ाए जाने के जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

(२) कोई न्यायालय, राज्य सरकार या प्राधिकरण, जिसने सजा को ऐसी स्थगित या माफी मंजूर की है, की पूर्व मंजूरी के सिवाय इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी।

कटौती ।

५३. (१) दोषसिद्ध बन्दी की जब सजा की तामिल हो रही है, उस समय उस के संपूर्ण अच्छे बर्ताव और आचरण के अध्यधीन ऐसे बन्दी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सजा में कटौती की मंजूरी दी जा सकेगी।

(२) सजा में कटौति मंजूर करने की अवधि और निकष जैसा कि विहित किया जाए ऐसे होंगे।

बन्दियों के लिए शिक्षा और कौशल विकास ।

५४. (१) बन्दियों को, विहित रीत्या, शिक्षा के लिए अवसर उपबंधित किये जा सकेंगे।

(२) प्रत्येक कारागार में बन्दियों के लिए पुस्तकालय सुविधाएँ होगी।

(३) बन्दियों को सुधारात्मक कार्यक्रम के भाग के रूप में व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम उपबंधित किया जायेगा। यह कार्यक्रम जैसा कि विहित किया जाए, बन्दियों के पुनर्वास सुविधा के स्वरूप में भिन्न रूप में होगा।

बन्दियों के लिए मनोरंजनात्मक सुविधाएँ।

५५. (१) कारागार प्राधिकारी, बन्दियों के लिए अध्यात्मिक, सांस्कृतिक और मनोरंजनात्मक कार्यक्रम आदि, का आयोजन करेगी।

(२) खेल, क्रीड़ा और योग के लिए सुविधाएँ कारागार में उपबंधित की जायेगी।

बन्दियों के लिए कल्याण निधि।

५६. सरकार, राज्य में बन्दियों के कल्याण के लिए कल्याण निधि गठित करेगी और उसमें निष्क्रेपित की जानेवाली राशि और उसका उपयोग जैसा कि विहित किया जाए ऐसा होगा।

विक्रय दुकान।

५७. सरकार बन्दियों, कारागार कर्मचारी और आम जनता के द्वारा बनाए गए विनिर्माण की बिक्री करने के लिए विक्रय दुकान की स्थापना करेगी।

शिकायत प्रतितोष यंत्रणा।

५८. बन्दियों के शिकायत का प्रतितोष करने लिए जैसा कि विहित किया जाए ऐसी शिकायत प्रतितोष यंत्रणा होगी।

रिहाई के पश्चात् देखभाल सेवा और पुनर्वास करना।

५९. राज्य सरकार, कारागार से रिहा हुए सभी जरूरतमंद बन्दियों को उनके पुनर्वासन और समाज में एकरूप होना सुनिश्चित होने के दृष्टि से, जैसा कि विहित किया जाए ऐसी देखभाल सेवा देने का प्रयास करेगा।

अध्याय चौदह

महिला बन्दियों से संबंधित उपबंध ।

६०. (१) सरकार महिला बन्दियों की जरूरत को ध्यान में रखकर कारागार की स्थापना करेगी। महिला बन्दियों के लिये अलग निवासस्थान ।
 (२) महिला और पुरुष दोनों बन्दियों को निवासी कारागार में, महिला बन्दियों को अलग भवनों या उस भवन के अलग अलग भाग में अलग प्रवेशद्वार सहित ऐसी रीत्या रखा जायेगा की उनका पुरुष बन्दियों से संपर्क न हो ।

(३) पुरुषों को कारागार में यथा उपबंधित दी गयी सभी मुलभूत सुविधाएँ जैसी कि, महिला बन्दियों को भी उनका लिंगभाव विशेष जरूरतों, प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर बच्चों के लिये शिशुग्रहों या बालवाड़ी देने के साथ अन्य सुविधा दि जायेगी ।

६१. बन्दी अस्पताल में महिला बन्दियों के लिये अलग महिला वार्ड सुजिन किया जायेगा । अस्पतालों में महिला वार्ड ।

६२. (१) महिला कारागार और महिलाओं को रखे जानेवाले स्थान या महिला वार्ड में केवल महिला कारागार पदाधिकारी और कर्मचारिवृन्द तैनात किये जायेंगे। महिला पदाधिकारी और कर्मचारिवृन्द ।

(२) पुरुष कारागार पदाधिकारी और सुरक्षा कर्मचारिवृन्द को ऐसा कारागार या बंद जगह के बाहर कर्तव्यों के लिये तैनात किया जायेगा, और कारागार प्रभारी या पदाधिकारी या कर्तव्य पर का अधिकारी को केवल आकस्मिक स्थिति या कारागार अपराधों के मामले में अंदर आ सकेगा ।

६३. महिला बन्दियों के लिंगभाव विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखकर सुधारात्मक कार्यक्रम और विभिन्न कार्यक्रमों गतिविधियों की जायेंगी और उसके लिये उन्हें प्रवेश दिये जायेंगे । को प्रवेश ।

६४. जब कोई महिला बन्दी कारागार में प्रवेश करने समय या बाद में गर्भवती पायी जाती है तो गर्भवती महिला चिकित्सा अधिकारी कारागार के प्रभारी अधिकारी को इस तथ्य की रिपोर्ट करेगा । उसे जैसा कि विहित बन्दियों । किया जाए ऐसी चिकित्सा देखभाल और आहार देने के लिये आवश्यक प्रबंध करेगा ।

६५. यदि कोई महिला बन्दी उनके बच्चों को छह वर्षों की आयु पूरी होने तक उनके साथ रख बच्चों के साथ सकेगी । कारागार में उनकी माताओं के साथ रहनेवाले बच्चों की स्वास्थ देखभाल सेवा जैसा कि विहित महिला बन्दियों । किया जाए ऐसी अन्य सुविधाएँ दी जायेगी ।

६६. महिला बन्दियों का लैंगिक उत्पीड़न की किसी शिकायत या जानकारी विधि के उपबंधों के अनुसार किसी विलंब के बिना कार्यावाही की जायेगी । लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों में जाँच ।

अध्याय पंद्रह

ट्रान्सजेन्डर बन्दियों ।

६७. ट्रान्सजेन्डर बन्दियों के लिये ट्रान्सजेन्डर पुरुष और ट्रान्सजेन्डर महिला दोनों के लिये अलग ट्रान्सजेन्डर बन्दियों के लिये अलग आवास सुविधाएँ । आहाता या वार्ड दिया जायेगा, जिसे नियमों के अधीन यथा विहित उपबंध किये जा सकेंगे ।

६८. ट्रान्सजेन्डर बन्दियों को स्वास्थ देखभाल, सुधारात्मक कार्यक्रम और अन्य क्रियाकलापों के लिये प्रवेश दिया जायेगा । विभिन्न कार्यक्रम लेने और स्वास्थ देखभाल सेवा देना ।

अध्याय सोलह

बन्दियों की अभिरक्षा और सुरक्षा ।

६९. कारागार के प्रभावी अधिकारी बन्दियों की सुरक्षित अभिरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के बन्दियों की सुरक्षित अभिरक्षा लिए प्रभावी उपाय हाथ में लेने के लिये जिम्मेदार होगा । इन उपयों में सुरक्षा दिवार, गेट, सुव्यवस्थित प्रकाश प्रणाली, केंद्रिय सनियंत्रण प्रणाली, निगराणी बुर्ज, बिजली बाड़ लगाना, प्रतिबंधित वस्तुओं के अभिगम की

रोकथाम, खुफिया जानकारी जुटाना, क्लोज सर्किट टी. व्ही., और निगराणी के लिए अन्य आधुनिक गैजेट तथा उपकरण आदि सम्मिलित है।

पुलिस प्राधिकरणों
की जिम्मेदारी ।

७०. (१) कारागार के प्रभारी अधिकारी के अनुरोध पर स्थानीय पुलिस प्राधिकरण, कारागार प्राधिकरणों को बन्दी को न्यायालय में या अस्पताल में ले जाने या पैरोल छुट्टी पर छोड़ने आदि में अनुरक्षण करने और कारागार में दंगा या आगजनी के मामले में बन्दियों की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कारागार प्राधिकरणों को आवश्यक सहायता का उपबंध करेगी।

(२) बन्दी कारागार से बाहर अस्पताल में दाखिल हैं, के मामले में उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस प्राधिकरणों द्वारा पर्याप्त पुलिस रक्षक कों की तैनाती की जायेगी।

बल का उपयोग ।

७१. दंगा, जेल तोड़ने, या हिंसा का सहारा लेने जिससे सहचर बन्दियों या कारागार अधिकारियों या कर्मचारिवृंद या अभ्यागतों का जीवन खतरे में डालने के मामले में बन्दियों पर रोक लगाने और बलप्रयोग करने की रीति, जैसा कि विहित किया जाए ऐसी होगी।

बन्दियों की बाहरी अभिरक्षा नियंत्रण
और रोजगार ।

७२. किसी बन्दी को किसी ऐसे कारागार में ले जाते या उसे बाहर ले जाते समय जिसमें वह विधीपूर्वक परिरुद्ध हो सकता है, या जब कभी वह किसी ऐसे कारागार की सीमाओं के बाहर काम कर रहा हो या अन्यथा ऐसे कारागार से संबंधित किसी कारागार अधिकारी को विधीपूर्वक अभिरक्षा या नियंत्रण में हो, तो उसे कारागार में है ऐसा समझा जायेगा और उसके साथ उसके समान घटनाएँ घटेगी मानो कि वह वास्तव में कारागार में था।

अध्याय सत्रह

उच्च जोखिम, आभ्यासिक अपराध और कठोर अपराधिक बन्दियों की अपराधिक गतिविधियों से समाज की सुरक्षा ।

बन्दियों की अपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध समुचित उपाय करना ।

७३. (१) उच्च जोखिमवाले बन्दियों, आभ्यासिक अपराधियों और कठोर अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों से समाज को सुरक्षित रखने के लिए सभी समुचित उपाय हाथ में लेना यह कारागार दल और राज्य पुलिस की जिम्मेदारी होगी।

(२) कैदी द्वारा किए गए अपराध का व्यौरा, उपलब्ध पृष्ठभूमि अभिलेख, इतिहास वृतान्त आदि के आधार पर कैदि को उसकी अन्य कैदियों पर नकारात्मक प्रभाव डालने की प्रवृत्ति और सामर्थ्य के लिए यथोचित अलग श्रेणी में विभाजित, निर्धारित किया जाएगा और जैसा कि समुचित हो, अलग बैरक या कक्ष में रखा जाएगा।

सुरक्षा रखने,
खुफिया जानकारी
जुटाने और
निगराणी करने
के लिए विशेष
उपबंध।

७४. (१) सरकार, कारावास में रहते हुए गिरेह गतिविधियाँ, साक्षीयोंको धमकाने आदि समेत संगठित अपराध या निरंतर गतिविधियों को रोकने के लिए उच्च जोखिमवाले बन्दियों, खतरनाक अपराधियों और आदतन अपराधियों पर विशेष ध्यान रखेगी और निगरानी सुनिश्चित करेगी।

(२) कारावास में गतिशिल सुरक्षा सुनिश्चित करने, भागने, कलह की घटनाएँ और अपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए राज्य पुलिस की खुफिया विंग के साथ मिलकर कारावास दल द्वारा बन्दियों से खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, बन्दियों का सावधानी से निरीक्षण करने, उनकी निगराणी करने और सुसंगत जानकारी का विश्लेषण किया जा सकेगा।

(३) सरकार, उच्च जोखिमवाले बन्दियों और खतरनाक अपराध करनेवाले अपराधियों की कोठरियों और बरैकों में समय-समय से, तस्करी की चीजों, सेल फोन आदि की तलाशी लेने और उनका पता लगाने के लिए मजबूत और प्रभावी उपायों की सुनिश्चित करेगी और ऐसे क्षेत्रों में प्रायः जाँच समेत उन्नत जामिंग उपाय करेगी, जिसमें बार-बार सरप्राइज चेक करना भी शामिल है।

(४) सरकार, कारावास की गतिशिल सुरक्षा मजबूत करने के लिए खुफिया जानकारी जुटाने के लिए निधि का उपबंध करेगी।

(५) संवेदनशील बैरक और सेल में तैनात कारावास और अन्य सुरक्षा कर्मचारिवृद्धि को समय-समय पर अदल-बदल किया जायेगा ताकि सुरक्षा में किसी भी तरह की सांठगांठ और लापरवाही को रोका जा सके।

(६) उच्च जोखिमवाले, कठोर और आदतन अपराधी की सजा पूरी होने पर या जमानत पर पैरेल या फर्लों आदि, पर कुछ समय के लिए रिहा हुए कैदि की रिहाई की जानकारी संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक को दी जाएगी, जो ऐसे बन्दि की गतिविधियों पर नजर रखेगा।

(७) पुलिस प्रशासन, प्राधिकरण की याचिका, वारंट या, यथास्थिति, आदेश के अनुसार न्यायिक प्रक्रिया के लिए न्यायालयीन गतिविधियों के क्रम में, चिकित्सा उपचार के लिए अस्पताल या कोई अन्य स्थान पर बन्दि की गतिविधि पर्ण रूप से सरक्षित रखेगा।

अध्याय अठारह

बन्दि का जाति आधारित भेदभाव का प्रतिषेध ।

७५. (१) बन्दियों का कारागार में, वर्गीकरण, पृथकरण में बन्दियों के जाति के आधार पर कोई जाति आधार के भेदभाव नहीं किया जाता है। भेदभाव पर रोके।

(२) यह सख्त रूप से सुनिश्चित किया जाता है कि, कारागार में कोई कर्तव्य या कार्य के आबंटन में बन्दीयों की जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है।

(३) कारागार और सुधारात्मक संस्थाओं में 'हाथ से मैला उठानेवाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पनवर्स अधिनियम, २०१३' के उपबंध सरक्त रूप से अपनाए जायेगे।

सन् २०१३ (४) कारागार के भीतर हाथ से मैला उठाने या मल जल निकास या सेप्टिक टैंक की जोखिमवाली का २५। सफाई अनमत नहीं है।

अध्याय उन्नीस

विकल्पांग बन्दीयों के भेदभाव का परिषेध ।

७६. (१) किसी बन्दि के विकलांगता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी विकलांग विकलांग बन्दियों
बन्दियों को अन्य बन्दियों के समान आधार पर उनकी अखंडता के लिए समानता, गरिमा और आदर के के अधिकार।
हकदार होंगे।

(२) कक्ष, शौचालय, चिकित्सा युनिट, शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, और शिकायत प्रतितोष प्रणाली समेत पूरे कारागार की मूलभूत संरचना गृह कार्यकलाप मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सुगम्यता, मानक और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सुगम्य बनाए जायेंगे।

(३) विकलांग बन्दियों को मनोचिकित्सिय और मनोवैज्ञानिक सेवाओं समेत समुचित स्वास्थ्य देखभाल सविधा साथ ही पनर्वास कार्यक्रम और चिकित्सा अभिगम का उपबंध किया जायेगा ।

(४) आनेवाले सभी बन्दियों की प्रवेश के समय पर विकलांगता की जाँच की जायेगी। सुसंगत कारागार के अभिलेख में उनका यथोचित निवासस्थान और सहायता सुनिश्चित करने के लिए कारागार के संबंधित अभिलेख में उनकी विनिर्दिष्ट जरूरतों को दिखाना चाहिए।

(५) कारागार कर्मचारिवृद्ध को, विकलांग बन्दियों के अधिकारों, जस्तरतों और देखभाल के बारे में संवेदनशील रहने के नियमित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

अध्याय बीस

विविध ।

**सुधारित बन्दियों
पर छोटी फिल्मे।**

७७. सरकार सुधारे गए कैदियों के जीवन की कहानियों पर छोटी फिल्में बनाएगी और दिखाएगी ताकि, उनके पुनर्वास और सकारात्मक परिवर्तन को दिखाया जा सके, अन्य बन्दियों को प्रेरित करने, लोगों में जागरूकता बढ़ाने, बदनामी को कम करने और समाज में फिर से शामिल होने में मदद की जा सके।

**कारागार में
प्रवेश करनेवाले
प्रत्येक व्यक्ति की
अनिवार्य तलाशी।**

७८. (१) कारागार के सभी अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द कारागार में प्रत्येक प्रवेश और कारागार से प्रत्येक निर्गमन पर पुरी तरह से तलाशी ली जायेगी ।

(२) कारागार में प्रवेश चाहनेवाले प्रत्येक व्यक्ति और आगंतुक की पूरी तलाशी ली जायेगी, की नियमों द्वारा विहित किया जाए ।

(३) तलाशी से इन्कार करनेवाले किसी भी व्यक्ति को कारागार या आगंतुक कक्ष में प्रवेश से इन्कार किया है और ऐसा निर्णय कारागार के अभिलेख में प्रविष्ट किया है।

**प्रत्येक जिले के
लिये विचाराधीन
पूनरीक्षण समिति
का गठान।**

७९. (१) प्रत्येक जिले के लिये जिला और सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में, जिला मनिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, जिला विधि-सहायता सेवा प्राधिकरण के सचिव के रूप में और कारागार अधीक्षक (जिले का वरिष्ठतम) सदस्य सचिव के रूप में, जिले के सभी कारागार में जिले के सभी विचाराधीन आवधिक पूनरीक्षण करने के लिये और मामलों का तात्काल निपटान करने के उपाय करने के लिये सभी विचाराधीन पूनरीक्षण समिति होगी।

(२) समिति नियतकालीक बैठक लेगी और जिले के सभी कारागारों में पात्र बन्दियों के मामले में पूनरीक्षण करेगी और विचारण न्यायालयों को समुचित सिफारिशें करेगी।

**हड्डताल और
आन्दोलन के लिये
प्रतिषेध।**

८०. कोई भी बन्दी, अगंतुक या कारागार में नियोजित कर्मचारियों को कोई भी अनुरोध या मांग प्राप्त करने के लिये हड्डताल या आन्दोलन शुरू करने या जारी रखने का अधिकार नहीं होगा ।

**बन्दियों के लिये
आकस्मिक
योजना।**

८१. प्रभारी अधिकारी जैसा की विहित किया जाए, कारागार में कोई आपतकालीन स्थिति की रोकथाम करने के लिये और आवश्यक उपकरनों की खरीद करने और आकस्मिक योजना तैयार करने के लिये इन सभी समुचित उपाय करेगी और तात्काल प्रतिसाद दल, आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये विपदा प्रबंधमंडल अधिनियम, २००५ की पुष्टि में किसी अन्य उपबंधों और राज्य सरकार द्वारा जारी सन् २००५ का ५३।

**कारागार प्रशासन
में प्रौद्योगिकी का
उपयोग।**

८२. (१) सरकार, प्रभावी प्रबंध मंडल और कारागारों के अधीक्षण करने के लिये और कारागार और बन्दियों की सुरक्षा और संरक्षण करने के लिये समूचित प्रौद्योगिकी का एकीकृत और अंतःस्थापन की सुनिश्चिती करेगा जिसमें बायोमेट्रिक, क्लोज सर्कीट टेलिविजन (सीसीटीव्ही), स्कॉनिंग और जॉच उपकरण, रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आईडेंटीफिकेशन (आर.एफ.आय.डी.) विडीओ कॉम्फरन्स, सुविधाएं, अदि, सम्मिलित होगी, बन्दियों की गतिविधियों के लिये प्रत्येक कारागार में बन्दियों के लिये सीमलेस बायोमेट्रिक ऑक्सेस नियंत्रण प्रणाली के लिये न्यायालय की सुनवाई में उपस्थित रहने या विचारण के लिये प्रबंध किया जायेगा।

(२) सरकार, संपूर्ण कारागार प्रशासन का संगणिकीकरण करेगी और इंटर - ऑपरेबल क्रिमीनल जस्टीस सिस्टम के साथ डाटा संग्रहित करेगी । सरकार जानकारी की सहज आदान-प्रदान करने के लिये यथोचित प्रणाली भी विकसित करेगी और कारागार और बन्दी प्रबंधन प्रणाली सुकर करेगी ।

(३) सरकार, कारागार में बन्दियों द्वारा दूरभाष (सेल फोन) और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करनेवालों की तलाशी लेने और प्रतिरोध करने के आधुनिक प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करेगी।

(४) सरकार, कारागार से अस्थायी रिहाई या छुट्टी पर छोड़े गये या न्यायालय की सुनवाई के लिये उपस्थित रहने के लिये गये बन्दियों की तलाशी लेने के लिये उपकरणों के उपयोग से इलेक्ट्रॉनिक मानीटरिंग और ट्रैकिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकेगी ।

(५) कारागार की इलेक्ट्रॉनिक या डिजीटल डाटा की गोपनीयता कारागार के सभी अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द से बनायी रखी जायेगी और उसे कारागार के महानिदेशक जिम्मेवार होगा ।

८३. (१) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित नियम बनाने की करने के लिये नियम बनाएगी ।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् तथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिये रखा जायेगा, जो कि चाहे वह एक सत्र में हो या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो, और यदि, उसे सत्र में जिसमें उसे रखा गया है, उसके ठीक बाद के सत्र या सत्रों के अवसान के पूर्व दोनों सदन नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हों कि नियम न बनाया जाए ऐसा विनिश्चय राजपत्र में अधिसूचित करते हों तो नियम ऐसे विनिश्चय के प्रकाशन के दिनांक से परिवर्तित रूप में हों प्रभावी होगा, या, यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जायेगा ; तथापी, ऐसा कोई परिवर्तन या बातिलिकरण, उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात या विलुप्ति की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

८४. सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम या तदधीन बनाए गये नियमों द्वारा यह शक्तियों का निर्देश दे सकेंगी कि, सरकार का कोई भी अधिकारी उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के प्रत्यायोजन । अध्यधीन यदि कोई हो, नियम करने की शक्ति से अन्य किसी भी शक्तियों का उपयोग कर सकेगी ।

८५. सरकार द्वारा जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रीत्या, प्रत्येक कारागार का लेखा बनाए रखेगा लेखा तथा लेखा और उसकी लेखा संपरीक्षा की जायेगी । संपरीक्षा ।

८६. इस अधिनियम या तद्वीन बनाए गये नियमों या आदेशों के अधीन सद्भावनापूर्वक कृत या सद्भावनापूर्वक करने के लिये आशयित किसी बात के होते हुए भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ सरकार कृत कार्यवाही के लिये संरक्षण । के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं की जायेगी ।

८७. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि उपबंधों के अतिरिक्त और अधिनियम किसी अन्य विधि के अल्पीकरण करनेवाले नहीं होंगे । अल्पीकरण करनेवाला नहीं होगा ।

सन् १८९४ ८८. (१) महाराष्ट्र राज्य में यथा प्रयुक्त कारागार अधिनियम, १८९४ और बन्दी अधिनियम, निरसन और का १ । १९०० एतद्वारा, निरसित किया जाता है । व्यावृत्तियाँ ।

सन् १९०० का ३ ।

(२) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भण के सद्य पूर्व प्रवृत्त सभी नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों, बन्दी से संबंधित अधिसूचनाओं और इन अधिनियम के अधीन उपबंधों या जारी किये गये असंगत या एतविरुद्ध होते हुए भी, इन अधिनियम के अधीन बनाए गए या जरी किये गये नियमों द्वारा परिवर्तित, संशोधित या निरसित होने तक लागू होंगे ।

८९. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो, कठिनाईयों के राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्भूत हो, राजपत्र में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों निराकरण की शक्ति । से अनसंगत कोई बात कर सकेगी, जो उस कठिनाई के निराकरण के लिये आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो : शक्ति ।

परंतु, ऐसा कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के बाद, नहीं बनाया जायेगा ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा ।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य ।

कारागार यह अपराधिक न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण और विभिन्न भाग है । वर्तमान में कारागार कारागारों, कारागारों के अधिकारियों का विनियमन, उनके अधिकारों और कर्तव्यों, कारागारों में अनुशासन का प्रवर्तन, बन्दियों के प्रवेश, हटाना या निष्कासित करने संबंधि उपबंध, बन्दियों को दी जानेवाली सुविधाएँ, कारागार और बन्दियों से संबंधित अपराध के विनियमन का संविधान पूर्व विधि अर्थात् कारागार अधिनियम, १८९४ (सन् १८९४ का ९) और बन्दि अधिनियम, १९०० (सन् १९०० का ३) में उपबंध किया है ।

२. बन्दियों के सुधार और पुनर्वास और की विचार धारा में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिये इन स्वतंत्रता- पूर्व पुरानी विधियों को समय बीतने के साथ, निरसित करने और उनके स्थान पर एक समेकित, प्रगतिशिल और मजबूत अधिनियम समेकन द्वारा प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है जो समकालिन आधुनिक जरूरतों और सुधारात्मक विचारधारा के अनुरूप है । कारागार प्रशासन से संबंधित सभी सुसंगत मुद्दों को समग्र रूप से संबोधित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों के लिए एक व्यापक मॉडल कारागार विधेयक, २०२३ पर विचार-विमर्श करने के लिये एक समिति भेजी है, जिसमें पुलिस अनुसंधान ब्यूरो और विकास, राज्य कारागार प्राधिकारी और कई सुधार विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श किया गया है ।

३. उपर्युक्त को ध्यान में रखकर, सरकार, महाराष्ट्र राज्य में कारागार, बन्दि सुधारात्मक सेवाओं और बन्दियों के विनियमन से संबंधित विधियों को समेकित करना और उसका विनियमन करने के लिए उपबंध करना इष्टकर समझती है ।

४. विधियों की मुख्य विशेषताएँ यथा निम्न हैं,—

(१) महिलाओं के लिये विशेष कारागार, खुला कारागार, अस्थायी कारागार, खुली कॉलोनी, बोर्टल संस्थानों जैसी कारागार की श्रेणियों के लिये उपबंध करना ;

(२) खुले कारागार और खुली कॉलोनी के बन्दियों को उनके पुनर्वास और रिहाई करने के पश्चात् समाज में पुनः एकीकरण के लिये उपबंध करना;

(३) कारागार के गठन के लिये उपबंध करना ;

(४) कारागार के सभी अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द के लिये कल्याण निधि साथ ही साथ बन्दियों के लिये कल्याण निधि के गठन के लिये उपबंध करना ;

(५) बन्दियों की विभिन्न श्रेणियों का कारागार में पृथक्करन करने और उनकी विशेष जरूरतों जैसे कि, महिला, ट्रांसजेंडर, विचारधीन बन्दी, दोषसिद्ध बन्दी, उच्च सुरक्षावाले बन्दी, आदतन बन्दी, पुनरावर्ती बन्दी, युवा अपराधी, सिविल बन्दी आदि के लिये उपबंध करना ;

(६) कारागार में किये गये अपराधों और बन्दियों द्वारा किये गये अपराधों और उनके दंड के लिये उपबंध करना;

(७) विहित पात्रता और शर्तों के अनुसार फलों और पैरोल छुट्टी मंजूरी के लिये उपबंध ;

(८) बन्दियों के लिये शिकायत प्रतितोष यंत्रणा के लिये उपबंध करना;

(९) महिला बन्दियों और ट्रांसजेंडर बन्दियों के लिये कारागार अस्पतालों में अलग महिला वार्ड समेत विशेष प्रावधान करने के लिये उपबंध करना ;

(१०) कारागार से रिहा किये गये सभी जरूरतमंद बन्दियों को उनके पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से देखभाल पुनर्वास सेवा के लिये उपबंध करना;

(११) प्रत्येक जिले में विचाराधीन पूनरीक्षण समिति के गठन का उपबंध करती है ताकि जिलों के सभी कारगारों में बन्दी हुए सभी विचाराधीन बन्दियों का समय-समय से पूनरीक्षण की जा सके और मामलों के शीघ्र निपटान के लिये उपाय किये जा सकें और विचारण न्यायलयों को उचित सिफारिशें की जा सकें ;

(१२) यह सुनिश्चित करने के लिए उपबंध करना है कि, बन्दियों की जाति के आधार पर कारागार में कोई कर्तव्य या कार्य के वर्गीकरण, पृथ्यकरण और आवंटन में कोई भेदभाव नहीं हो, के लिए उपबंध करना;

(१३) यह सुनिश्चित करने के लिए उपबंध करना है कि, बन्दियों को विकलांगता के आधार पर कोई भेदभाव न करने के लिए उपबंध करना और मनोचिकित्सा तथा मनोविज्ञान सेवाओं समेत समुचित स्वास्थ्य निगरानी साथ ही साथ पुनर्वास कार्यक्रम चिकित्सा का उपबंध करना;

(१४) उपबंध करने की दृष्टि से त्वरित प्रतिक्रिया दल आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने, समेत कारगारों में किसी भी आपातकालीन स्थिति को रोखने और नियंत्रित करने और आपदा प्रबंधन अधिनियम, २००५ के अनुरूप कोई अन्य उपबंध करना ;

(१५) कारागार के प्रभावी प्रबंधन और अधीक्षण करने, कारागार और बन्दियों की सुरक्षा करने लिये प्रौद्योगिकी के उपयोग का उपबंध करने जिसमें बायोमेट्रिक्स, क्लोजड सर्किट टेलिविजन, (सीसीटीव्ही), स्कॉनिंग और डिटेक्शन डिवाईस, रेडियो फ्रिक्वेंसी, आईडॉफिकेशन (आरएफआयडी) विडियो कॉन्फ्रेंस सुविदायें आदि, सम्मिलित हो सके;

(१६) संपूर्ण कारागार प्रशासन के संगणीकरण और डेटाबेस की अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली के साथ एकीकृत करने के लिये उपबंध करना ।

५. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है ।

मुंबई,
दिनांकित १२ डिसंबर, २०२५।

देवेंद्र फडणवीस,
मुख्यमंत्री ।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधि ज्ञापन

प्रस्तुत विधेयक में, विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव अंतर्गत है, अर्थात् :—

खण्ड १ (२).—इस खण्ड के अधीन राज्य सरकार को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा वह दिनांक, जिस दिनांक पर यह अधिनियम प्रवृत्त होगा, नियत करने की शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड २ (क ख).—इस खण्ड के अधीन राज्य सरकार को छूट देने के नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ४ (१).—इस खण्ड के अधीन राज्य सरकार को,—

(एक) परिच्छेद (च) के अधीन, मुक्त कारागार में कैद बन्दियों की अर्हता के लिए शर्ते नियमों द्वारा विहित करने;

(दो) परिच्छेद (झ) के अधीन मुक्त कॉलोनी में कैद बन्दियों की अर्हता के लिए शर्ते नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ५.—इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को,—

(एक) उप-खण्ड (१) (ज) के अधीन कारागार दल के अन्य अधिकारीयों को नियमों द्वारा विहित करने;

(दो) उप-खण्ड (४) के अधीन, कारागार दल की निवृत्ति, वेतन, भत्ते और सेवा की सभी अन्य शर्तें नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ९.—इस खण्ड के अधीन राज्य सरकार को,—

(एक) उप-खण्ड (३) के अधीन, कारागार के प्रभारी अधिकारी की अन्य कृत्य और कर्तव्य नियमों द्वारा विहित करने;

(दो) उप-खण्ड (४) के अधीन बन्दियों को विनियम करने, कारागार को बनाए रखने और उच्च सुरक्षा वार्ड समेत कारागार के अनुशासन और उचित प्रबंधन के लिए कारागार के प्रभारी अधिकारी की अनुशासनिक शक्तियाँ नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति ;

(तीन) उप-खण्ड (६) (च) के अधीन कारागार के प्रभारी अधिकारी द्वारा बनाया रखा जानेवाला कोई अन्य अभिलेख नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड १० (२).—इस खण्ड के अधीन राज्य सरकार को चिकित्सा अधिकारी के कर्तव्य नियमों द्वारा विहित करने की, शक्तियाँ प्रदान की गई है।

खण्ड १३ (घ).—इस खण्ड के अधीन राज्य सरकार को, जेलर, उप जेलर या सहायक जेलर के कर्तव्य और कृत्य नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड १५ (१).—इस खण्ड के अधीन राज्य सरकार को कारागार के कोई अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध की कदाचार के लिए की जानेवाली अनुशासनिक कार्यवाही नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है;

खण्ड १७.—इस खण्ड के अधीन वह नियम जिसके अधीन कारागार के अधिकारी और कर्मचारी शासित हो जायेंगे, नियमों द्वारा विहित करने की शक्ति प्रदान की गई है ।

खण्ड २४.—इस खण्ड के अधीन राज्य सरकार को,—

(एक) उप-खण्ड (१) के अधीन, कल्याण निधि का उपयोग करने के प्रयोजनों को नियमों द्वारा विहित करने;

(दो) उप-खण्ड (२) (ड़) के अधीन, कल्याण निधि में निश्चेपित का जानेवाली अन्य रकम नियमों द्वारा विहित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड २५.—इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को कारागार का निरीक्षण करने के लिए कालिक अंतराल नियमों द्वारा विहित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड २६(१).—इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को, अभ्यागत बोर्ड के सदस्यों की संख्या नियमों द्वारा विहित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड २७.—इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को,—

(एक) उप-खण्ड (१) के अधीन, कारागार का वास्तुतज्ज्ञ और आरेखन मानक और आवश्यकताओं को नियमों द्वारा विहित करने ;

(दो) उप-खण्ड (२) के अधीन, कारागार के सुरक्षा के मानक नियमों द्वारा विहित करने ;
(तीन) उप-खण्ड (३) बन्दियों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए पृथक और अलग आवास में रखने की सुविधा का कारागार का नक्शा नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है ;

(चार) उप-खण्ड (५) के अधीन विभिन्न श्रेणियों के कारागारों की परिधि दीवार से ऐसी दूरी के भीतर संनिर्माण के विनियमन और बफर जोन बनाने के लिए नियमों द्वारा विहित करना।

खण्ड २८.—(१) इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को,—

(एक) उप-खण्ड (१) के अधीन खुला कारागार और मुक्त कालोनी में अनुमति की जानेवाली सुविधा या रियायत नियमों द्वारा विहित करने की, शक्तियाँ प्रदान की गई है ;

(दो) उप-खण्ड (२) के अधीन राज्य सरकार को खुला कारागार और मुक्त कालोनी को ऐसे कारागार के बन्दियों के अन्तरण के लिए प्रक्रिया और पात्रता और ऐसे बन्दियों के अन्तरण की शर्तों को नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की है।

खण्ड २९.—इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को,—

(एक) उप-खण्ड (२) (ज) के अधीन, वर्गीकरण और सुरक्षा निर्धारण समिति द्वारा बन्दियों के अन्य प्रकारों का अभिनिश्चयन नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है ;

(दो) उप-खण्ड (३) (ट) के अधीन, वर्गीकरण और सुरक्षा निर्धारण समिति द्वारा बन्दियों के प्रकार उनकी आयु, लिंग या दण्डादेश आदि, के अनुसार अभिनिश्चयन, बन्दियों के अन्य प्रवर्ग नियमों द्वारा विहित करने की शक्ति प्रदान की गई है ;

(तीन) उप-खण्ड (४) के अधीन राज्य सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि, नियमों द्वारा बन्दियों को एक-दुसरे के साथ किसी भी प्रकार के टकराव को रोकने के लिए अलग-अलग रखने की, रीति नियमों द्वारा विहित करना।

खण्ड ३१.—इस खण्ड के अधीन राज्य सरकार को,—

(एक) उप-खण्ड (१) के अधीन, कारागार में दाखिल करते समय बन्दियों से निपटान की, रीति नियमों द्वारा विहित करने,

(दो) उप-खण्ड (३) के अधीन, महिला और ट्रांसजेंडर बन्दी की तलाशी और परीक्षा की रीति नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की है।

खण्ड ३५(क).—इस खण्ड के अधीन राज्य सरकार को, कारागार अपराध नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ३६(२).—इस खण्ड के अधीन राज्य सरकार को, कारागार में अनुशासन प्रवृत्त करने की रीति नियमों द्वारा विहित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ३८.—इस खण्ड के अधीन, कारागार अपराधों के लिए शास्ति, नियमों द्वारा विहित करने के लिये राज्य सरकार को, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ४४.—इस खण्ड के अधीन राज्य सरकार को,—

(एक) उप-खण्ड (१) के अधीन बन्दियों को तामील किया जानेवाली खाद्य और खाद्य की मात्रा, नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की है;

(दो) उप-खण्ड (२) के अधीन दोषसिद्ध बन्दियों के गणवेश, नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ४६ (१).—इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को बन्दियों को मजदूरी, नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ४७.—इस खण्ड के अधीन राज्य सरकार को,—

(एक) उप-खण्ड (१) के अधीन बन्दियों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधा नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की हैं;

(दो) उप-खण्ड (४) के अधीन बन्दियों के अन्तरण की पद्धति, रूपरेखा और प्रक्रिया नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ४८.—इस खण्ड के अधीन राज्य सरकार को—

(एक) उप-खण्ड (२) के अधीन अभ्यागतों के अभिलेख बनाए रखने की रीति नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की है ;

(दो) उप-खण्ड (३) और (४) के अधीन उनके नातेसंबंधी, वाणिज्यदूत प्रतिनिधीयों और विधि परामर्शी के साथ विदेशी बन्दियों से संवाद करने की रीति नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है ;

(तीन) उप-खण्ड (४) के अधीन उनकी विधी सलाहकार के साथ संवाद करने की रीति नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की है।

खण्ड ५०.—इस खण्ड के अधीन राज्य सरकार को,—

(एक) उप-खण्ड (१) के अधीन फलों और पौरोल के लिये शर्ते नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गयी है;

(दो) उप-खण्ड (३) और (४) के अधीन इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग उपकरण के जरिए फलों और पौरोल पर रिहा किये गये बन्दियों की गतिविधियाँ नियंत्रित करने के लिए नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ५३ (२).—इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को छूट मंजूर करने के लिये अवधि और मानदण्ड नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ५४ (१) और (३).—इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को बन्दियों के लिये शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल्य विकास कार्यक्रमों के अवसर नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ५६.—इस खण्ड के अधीन राज्य सरकार को कल्याण निधि का गठन, उक्त निधि में निष्केपित की जानेवाली राशि और उसका उपयोग नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ५८.—इस खण्ड के अधीन राज्य सरकार को, बन्दियों के लिए शिकायत प्रतितोष यंत्रणा, नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ५९.—इस खण्ड के अधीन राज्य सरकार को बन्दियों से उनका समाज में पुनर्वास और पूनः एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए रिहा किए गए बन्दि की देखभाल सेवा के लिए उपबंध नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ६४.—इस खण्ड के अधीन राज्य सरकार को, गर्भवती महिलाओं की चिकित्सा जाँच और भोजन के लिए उपबंध नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ६५.—इस खण्ड के अधीन राज्य सरकार को, कारागार में उनकी माँ के साथ रहनेवाले बच्चों का स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सुविधा देने के उपबंध नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ६७.—इस खण्ड के अधीन राज्य सरकार को ट्रांसजेंडर बन्दि के लिए अलग अंतःक्षेत्र या वार्ड देने के उपबंध नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ७१.—इस खण्ड के अधीन राज्य सरकार को, बन्दियों पर नियंत्रण लाने और बल प्रयोग करने की रीति नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान जाती है।

खण्ड ७८(२).—इस खण्ड के अधीन राज्य सरकार को, कारागार में व्यक्ति और अभ्यागतों की प्रविष्टि होने पर उनकी तलाशी लेने के लिए प्रक्रिया नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की है।

खण्ड ८१.—इस खण्ड के अधीन राज्य सरकार को, कारागार में किसी आपातकाल स्थिति में नियंत्रण और रोकथाम करने के लिए समुचित उपाय, नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की जाती है।

खण्ड ८३(१).—इस खण्ड के अधीन राज्य सरकार को राजपत्र में अधिसुचना द्वारा जारी इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ८४.—इस खण्ड के अधीन राज्य सरकार को, इस अधिनियम के अधीन, या तथ्दीन बनाए नियमों के अधीन राज्य सरकार के किसी अधिकारी को राजपत्र में अधिसुचना द्वारा जारी ऐसे कोई निबन्धनों या शर्तों के अध्यधीन, उसके द्वारा प्रयोज्य शक्ति से अन्य शक्ति का प्रत्ययोजन करने के लिए ऐसे निबन्धनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ८५.—इस खण्ड के अधीन कारागार के लेखा संपरिक्षा करने की रीति नियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की जाती है।

खण्ड ८९.—इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने उद्भूत कोई कठिनाई का निराकरण करने के लिए राजपत्र में आदेश जारी करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए उपरोल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप के है।

वित्तीय ज्ञापन ।

प्रस्तुत विधेयक का खण्ड २४ यह उपबंध करता है कि, कारागार के सभी अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द और सुधारात्मक सेवाओं के लिये कल्याण निधि का गठन करना और राज्य सरकार द्वारा दिया गया अनुदान उक्त निधि में जमा किया जायेगा ।

प्रस्तुत विधेयक का खण्ड ५६ बन्दियों के कल्याण निधि के गठन के लिये उपबंध करता है ।

प्रस्तुत विधेयक राज्य विधान मंडल के अधिनियम के रूप में उसकी अधिनियमिति पर, कल्याण निधि में राज्य सरकार द्वारा किये गये अनुदानों से राज्य की समेकित निधि से आवर्ती व्यय शामिल होगा । तथापि, इस निमित्त उपगत किया जानेवाला वास्तविक आवर्ती व्यय का अनुमान देना इस चरण पर संभव नहीं हैं ।

(यथार्थ अनुवाद),
श्री. अरूण कमळाबाई वाळू गिते,
प्र. भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य ।

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल की अनुशंसा

(महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग, आदेश कि प्रत)

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के खंड (३) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र कारागार और सुधारात्मक सेवाओं विधेयक, २०२५ ई. पर विचार करने की अनुशंसा करते हैं।

विधान भवन,
नागपूर,
दिनांकित १२ दिसंबर, २०२५।

जितेंद्र भोले,
सचिव-१,
महाराष्ट्र विधानसभा।